


# जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण मार्गदर्शिका-2025

# जयपुर



कार्यालय संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, कलक्ट्रेट, जयपुर



अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जयपुर राजस्थान सरकार

#### प्रस्तावना

जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के कार्य को रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, ई-मित्र एवं आमजन के लिए सरल व सुगम बनाने के उद्देश्य से मार्गदर्शिका-2025 का प्रथम प्रकाशन किया जा रहा है।

इस मार्गदर्शिका में जन्म-मृत्यु एवं विवाह रिजस्ट्रेशन प्रणाली की प्रक्रिया एवं प्रावधानों का विवेचनिकयागया है साथ ही जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिनियमों/परिपत्रों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मार्गदर्शिका में वर्ष 2020 से 2024 तक पंजिकृत जन्म-मृत्यु, मृत जन्म एवं विवाह की घटनाओं का विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो जीवनांक सांख्यिकी, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करने एवं भावी योजनाओं के निर्धारण के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

मुझे आशा है कि यह प्रकाशन रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार, जीवनांक सांख्यिकी एवं इससे सम्बन्धित कार्यो में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों/संस्थाओं/शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रतिवेदन में सुधार लाने की दृष्टि से भेजे जाने वाले सुझावों का स्वागत है।

मई, 2025

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

## मार्गदर्शक

जयपुर

डॉ. सुदेश कुमार 🕁 अति.मुख्य रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक (जीवनांक),आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

## प्रेरणास्रोत

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी⇒ अति. मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर, जयपुर

श्रीमती प्रतिभा वर्मा 👄 उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर

श्री मुकेश कुमार मूंड 🖒 अति जिला कलक्टर (उत्तर),जयपुर

## संकलनकर्ता

श्री बाबू लाल मीना 👄 जिला रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक,आर्थिक

एवं सांख्यिकी, जयपुर

डॉ. सुदीप कुमावत ⇒ सहायक निदेशक,आर्थिक एवं सांख्यिकी,

जयपुर

प्रमोद गुप्ता ⇒ सहायक सांख्यिकी अधिकारी

विजय तंवर 👄 कनिष्ठ सहायक

## अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयसूची	पृष्ठ संख्या
	जयपुर एक नज़र में	1
	जीवनांक "एक दृष्टि में" 2025	2-4
1	सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली	5-11
2	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025	11-13
3	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009	13-15
4	जन्म-मृत्यु से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश	16-20
5	विवाह से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश	21-22
6	जन्म का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)	22-28
7	मृत्यु का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)	28-34
8	विवाह पंजीकरण	34-35
9	बच्चे का नाम जोड़े (ऑनलाइन आवेदन)	35-37
10	माता की आयु एवं जन्म क्रम के अनुसार जीवित जन्म	38
11	आयु वर्ग के अनुसार पंजीकृत मृत्यु	39-40
12	पहचान हेल्प डेस्क नम्बर	41
13	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण कार्यालयो का निरीक्षण	42
14	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यशालाओ का आयोजन	43
15	जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के अधिनियमों का प्रचार-प्रसार	44

### जयपुर एक नज़र में

ढूंढ नदी के किनारे बसा जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है, इसे गुलाबी नगर तथा पूर्व के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इस नगर की स्थापना आमेर के कछवाहा वंश के शासक जयसिंह द्वितीय ने 18 नवम्बर, 1727 को की थी। इस सुनियोजित शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिनकी विशिष्ट स्थापत्य कला ने जयपुर को देश-विदेश में अद्वितीय स्थान दिलाया। यह नगर 9 वर्गों के सिद्धान्त पर बसाया गया। शहर के चारों ओर कुल 7 दरवाजे है। यहाँ के भव्य महलो, राज प्रासादों, हवेलियों, वेधशाला, चौकड़ीनुमा बाजारों, हस्तशिल्प एवं रत्नाभूषण ने जयपुर शहर को पर्यटकों के लिए अनूठा आकर्षण का केन्द्र बना दिया है।

जयपुर जिला राजस्थान के पूर्वी भाग में 26,23' व 27,51' उत्तरी अक्षांश एवं 74,55' व 76,50' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में राजस्थान का सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, दक्षिण में टोंक जिला, पूर्व में अलवर व दौसा जिले तथा पश्चिम में डीडवाना-कुचामन व अजमेर जिले है।

जयपुर के पूर्व व उत्तर का क्षेत्र पर्वत श्रेणियों व बहुसंख्य शिखरों से भरा हुआ है, ये पहाड़ियाँ व शिखर अरावली पर्वत समूह के है। जिले की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यप्रद है तथा विभिन्न स्थानों पर सर्दी व गर्मी अत्यधिक होती है। जिले की अधिकांश निदयाँ अपिरवार्षिक है। इनमें से बाणगंगा व साबी नदी महत्वपूर्ण है। सांभर झील, जिले की एक मात्र उल्लेखनीय प्राकृतिक झील है, जो देश में नमक का सबसे बड़ा स्त्रोत है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई सामान्यतया 122 से 183 मीटर है तथा भूगर्भीय जल का स्तर लगभग 70 मीटर है।

यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। जयपुर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 80 लाख से भी अधिक है। जिले को प्रशासनिक दृष्टि से 2 नगर निगम, 3 नगर परिषद, 12 नगर पालिका, 16 उपखण्ड, 21 तहसील, 13 उपतहसील, 19 पंचायत सिमति, 498 ग्राम पंचायत, 134 गिरदावर सिकल एवं 533 पटवार सिकल में विभाजित किया गया है।

औद्योगिक दृष्टि से जयपुर राज्य का एक उन्नत जिला है। सीतापुरा, कनकपुरा, मानपुरा-माचेड़ी, विश्वकर्मा, झोटवाड़ा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। जिले में विविध प्रकार के खनिज मिलते है, जिनमें तांबा, नमक, डोलोमाईट, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, कांच और रेत मुख्य है। जयपुर जिला रत्नाभूषण, लाख व हाथीदांत का काम, सांगानेरी एवं बगरू छपाई, पीतल की नक्काशी, ब्लू पॉटरी, रत्नव्यवसाय, संगमरमर की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

राजस्थान में जयपुर जिले की जीडीडीपी (सकल जिला घरेलू उत्पाद) वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर 212335 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों (2011-12) पर 6.60 प्रतिशत की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार योगदान कृषि और संबद्ध गतिविधियों का 11.26 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का 34.02 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र का 54.72 प्रतिशत रहा है साथ ही अंतिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 236666 रुपये होने का अनुमान है जो वर्ष 2011-12 में 76588 रुपये थी।

## जीवनांक "एक दृष्टि में" 2025

क्र. स.	मद	इकाई	जयपुर	सन्दर्भ अवधि		
1 . क्षेत्र	1 . क्षेत्रफल एवं स्थिति					
	क्षेत्रफल	वर्ग कि0मी0	9844	जनगणना 2011		
П	जनसंख्या २०११	संख्या	6046835	11		
Ш	कुल पुरूष	"	3163674	"		
IV	कुल स्त्री	"	2883161	"		
V	ग्रामीण	"	2644279	"		
VI	नगरीय	"	3402556	"		
VII	अनुमानित जनसंख्या	"	8145554	अप्रैल, 2025		
VIII	कुल पुरूष	"	4212301	11		
IX	कुल स्त्री	"	3933253	11		
Χ	साक्षरता दर (0-6 आयु वर्ग के अतिरिक्त)	प्रतिशत	75.08	जनगणना २०११		
XI	ग्रामीण साक्षरता दर (0-6 आयु वर्ग के अतिरिक्त)	"	67.62	"		
XII	नगरीय साक्षरता दर (0-6 आयु वर्ग के अतिरिक्त)	"	82.47	"		
XIII	लिंग अनुपात (१००० पुरूषों पर स्त्रियाँ)	संख्या	911	"		
XIV	शिशु लिंगानुपात	संख्या	862	"		
2. प्रश	सिकीय इकाईया	1				
	उपखण्ड	संख्या	16	अप्रैल 2025		
	तहसील	"	21	11		
III	उपतहसील	"	13	11		
IV	गिरदावर सर्किल	"	134	11		
V	पटवार सर्किल	11	533	11		
VI	पंचायत समिति	11	19	11		
VII	कुल ग्राम पंचायत	11	498	11		
VIII	नगर परिषद	11	3	"		
IX	नगर पालिका	11	12	11		
Χ	नगर निगम	- //	2	11		

3. जीवनांक के मुख्य सूचक					
I	जन्म दर	संख्या	23.02	वर्ष 2024	
II	मृत्यु दर	11	7.70	11	
Ш	शिशु मृत्यु दर	11	24.43	11	
IV	लिंगानुपात	11	938	11	
4. जन	म पंजीकरण				
1	कुल पंजीकरण	संख्या	53416	वर्ष 2024	
11	बालक	11	27636	11	
Ш	बालिका	11	25779	11	
IV	ट्रांसजेण्डर	11	1	11	
V	संस्थागत जन्म	11	52138	11	
VI	गैर संस्थागत जन्म	11	1278	11	
VII	जन्म ग्रामीण क्षेत्र	11	8818	11	
VIII	जन्म शहरी क्षेत्र	11	44598	11	
IX	मृत जन्म ग्रामीण क्षेत्र	11	24	11	
Χ	मृत जन्म शहरी क्षेत्र	11	120	11	
5.मृत्यु	पंजीकरण		•		
I	कुल पंजीकरण	संख्या	21094	वर्ष 2024	
II	पुरुष	"	12993	11	
III	स्त्री	11	8101	11	
IV	ट्रांसजेण्डर	"	0	11	
V	संस्थागत मृत्यु	"	5326	11	
VI	गैर संस्थागत मृत्यु	11	15768	"	
VII	मृत्यु ग्रामीण क्षेत्र	"	16543	11	
VIII	मृत्यु शहरी क्षेत्र	//	4551	11	
IX	शिशु मृत्यु ग्रामीण क्षेत्र में (0 से 04 वर्ष)	"	140	11	
Х	शिशु मृत्यु शहरी क्षेत्र (0 से 04 वर्ष)	"	105	11	
6.विव	6.विवाह पंजीकरण				
1	कुल पंजीकरण	संख्या	30524	वर्ष 2024	
П	शहरी	11	25947		
Ш	ग्रामीण	11	4577		
L	1	1	1	l .	

7.मात	7.माता की आयु वर्गानुसार प्रसव			
I	19 वर्ष से कम आयु	संख्या	1643	वर्ष 2024
П	आयु वर्ग 20-24	"	25498	11
Ш	आयु वर्ग 25-29	"	20358	11
IV	आयु वर्ग 30 -44	"	6764	11
V	45 एवं अधिक आयु वर्ग	"	26	11
8. आ	यु वर्गानुसार मृत्यु			
1	1 वर्ष से कम	संख्या	142	वर्ष 2024
П	1 - 4	"	62	11
Ш	5 -14	"	140	11
IV	15 – 24	"	555	11
V	25 – 34	11	922	11
VI	35 - 44	"	1411	11
VII	45 - 54	"	2041	11
VIII	55 - 64	11	3419	11
IX	65 - 69	11	2236	11
Х	70 वर्ष और अधिक	"	10066	11
9. रि	स्ट्रीकरण क्षेत्र			
I	प्रशासनिक इकाई का नाम	11	जयपुर	वर्ष 2024
П	पंचायत समितियाँ	"	19	"
III	ग्राम पंचायतें	"	579	11
IV	शहरी निकाय	11	18	11
	(अ) नगर परिषद	11	4	11
	(ब) नगर पालिका	11	14	11
V	उप रजिस्ट्रार (राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी)	11	155	"
	(अ) ग्रामीण	11	134	11
	(ब) शहरी	11	21	11
VI	निजी चिकित्सालय	"	148	"
	(अ) ग्रामीण	11	54	11
	(ब) शहरी	11	94	11

नोटः- जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित डाटा पहचान पोर्टल से लिया गया है।

### 1. सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली

व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के अन्तराल में हुई समस्त व्यक्तिगत घटनायें जैसे जन्म, मृत्यु आदि को जीवनांक सांख्यिकी कहा जाता है। जीवनांक सांख्यिकी के सिविल रिजस्ट्रेशन प्रणाली के अन्तर्गत जारी जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म की घटनाओं का वैधानिक रुप से रिजस्ट्रीकरण सिविल रिजस्ट्रेशन प्रणाली कहलाता है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में केवल वैधानिक रुप से रिजस्ट्रीकृत की गई जन्म, मृत्यु, मृत जन्म एवं विवाह की घटनाओं को सिम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा बनाये गये जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत राज्य में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रिजस्ट्रीकरण 1 अप्रेल, 1970 से प्रारम्भ किया गया है।

#### उपयोगिता

जन्म-मृत्यु पंजीयन से प्राप्त आंकडों का उपयोग राष्ट्र /राज्य के लिये जनसंख्या के अनुमान तैयार करने, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्धारण, शिशु मृत्यु, संक्रामक रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार, शिक्षण संस्थाऐं खोलने, पेयजल एवं विद्युतिकरण की सुविधा प्रदान करने के लिये किया जाता है। अतः व्यक्ति एवं राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली काफी सहायक सिद्ध हुई है।

#### जन्म प्रमाण पत्र का महत्त्व

जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में प्रवेश, वीजा प्राप्त करने, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने एवं सरकारी व गैर सरकारी सेवा में नौकरी आदि में आयु के प्रमाणीकरण आदि हेतु वैधानिक दस्तावेज़ है।

#### मृत्यु प्रमाण पत्र का महत्त्व

मृत्यु का प्रमाण पत्र सम्पति के उत्तराधिकार दांवों, पेंशन, बीमा एवं बैंकिंग सेवाओं आदि के मामलों को निपटाने के लिए, सम्पति के मामले के निस्तारण आदि में उपयोगी है।

#### 1.1 रजिस्ट्रीकरण संगठन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण योजना के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन की जाती है। भिन्न-भिन्न प्रशासनिक विभागों से सम्बन्ध रखते हुए भी ये अधिकारी/कर्मचारी रजिस्ट्रीकरण कार्य के लिये एक ही तन्त्र के अधीन होते हैं। राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अन्तर्गत सांख्यिकी विभाग की दिनांक 12 अक्टूबर, 1970 की अधिसूचना द्वारा,

निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है। इस अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के वॉल्यूम 23 के भाग प्रथम की संख्या 9 में दिनॉक 27 मई, 1971 को हुआ। मुख्य रजिस्ट्रार के सहायक के रूप में संयुक्त निदेशक (जीवनांक) को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया हुआ है।

#### रजिस्ट्रार

(अ) ग्रामीण क्षेत्र- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव, ग्राम पंचायत को रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नियुक्त किया हुआ है। इसका कार्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित होता है। (ब) शहरी क्षेत्र- नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को रिजस्ट्रार जन्म-मृत्यु के पद पर नियुक्त किया हुआ है।

#### उप रजिस्टार

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी राजकीय चिकित्सालयों/सी.एच.सी/पी.एच.सी जहाँ जन्म अथवा मृत्यु की घटनाएं घटित होती है, उनके परिसर में होने वाली जन्म/मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन हेतु उन्हें उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है।

#### अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार

राज्य की समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को उनकी पंचायत समिति क्षेत्र के लिये अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है।

#### ब्लॉक नोडल अधिकारी

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर जारी करवाने, मॉनिटरिंग करने एवं रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को पंजीकरण में आने वाली समस्या के समाधान करने हेतु राज्य के समस्त ब्लॉकों में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को उनके ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्लॉक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

#### जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

जिले में पदस्थापित आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के संयुक्त/उप निदेशक को संबंधित जिले का जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नगर निगम के आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार के लिये जिला रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

#### उप मुख्य रजिस्ट्रार

प्रत्येक जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है।

#### अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 27.06.1984 के अनुसार अपने-अपने जिलों के लिये अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) घोषित किया गया है तथा उन्हें जिले में रजिस्ट्रीकरण कार्य को जिला रजिस्ट्रार एवं अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से पूर्ण करवाने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

#### मुख्य रजिस्ट्रार

राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अन्तर्गत सांख्यिकी विभाग की दिनांक 12 अक्टूबर, 1970 की अधिसूचना द्वारा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है।

#### भारत के महारजिस्ट्रार

राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार ने एक महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है।

#### भारत सरकार ने राज्य में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन के लिये निम्न पदाधिकारी नियुक्त किये हैं

- (अ) संयुक्त महारजिस्ट्रार:- निदेशक, जनगणना कार्य, निदेशालय राजस्थान को संयुक्त महारजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
- (ब) सहायक महारजिस्ट्रार:- भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार की सहायता के लिए जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक/उप निदेशकों को सहायक महारजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

सूचनादाता (सूचक)

रिजस्ट्रार को जन्म-मृत्यु घटनाओं की सूचना देने हेतु निम्नलिखित पदों के कर्मचारियों को सूचक नियुक्त किया गया है

ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
हैल्थ विजिटर्स (ए.एन.एम. प्रसाविका)	सफाई निरीक्षक
मलेरिया कर्मचारी	जमादार
परिवार नियोजन कर्मचारी	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
ग्राम स्वास्थ्य रक्षक	अन्य(जैसे श्मशान घाट पर लकड़ी बेचने वाले, कब्र
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	खोदने वाले आदि)
आशा सहयोगिनी, दाई आदि	,

#### 1.2 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया

#### (अ) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की अधिसूचना

- राज्य में जन्म और मृत्यु का रिजस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण नियम, 2000 दिनांक 4.12.2000 से प्रभावी हैं। उक्त अधिनियम/नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं:-
- सामान्य रिजस्ट्रीकरण- जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 2000 के अन्तर्गत राज्य में घटित जन्म, मृत्यु एवं मृत-जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन अनिवार्य है। परिवार में घटित जन्म अथवा मृत्यु की किसी घटना के सम्बन्ध में परिवार के मुखिया अथवा मुखिया की अनुपस्थित में निकट सम्बन्धी द्वारा सम्बन्धित रिजस्ट्रार को निर्धारित प्रपत्र में घटना के 21 दिवस के अन्दर सूचना देकर घटना का रिजस्ट्रेशन निःशुल्क कराया जा सकता है।
- रजिस्ट्रार ऐसी घटना का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कर जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति निःशुल्क जारी करेगा एवं अतिरिक्त प्रति विहित शुल्क संदाय करने पर प्राप्त की जा सकती है।
- किसी बालक/बालिका का जन्म का रिजस्ट्रेशन बिना नाम के भी कराया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र में बालक/बालिका के माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा रिजस्ट्रार को लिखित सूचना देकर अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक वर्ष तक निःशुल्क तथा एक वर्ष पश्चात् व 15 वर्ष तक 5/- रूपये शुल्क देकर बालक/बालिका के नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- (ब) विलम्बित जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण- उक्त नियमों एवं उप नियमों के तहत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण का भी प्रावधान है। इसके तहत जिन जन्म/मृत्यु की घटनाए जिनकी सूचना घटना घटित होने के 21 दिवस के पश्चात प्राप्त होती है, के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये निर्धारित शुल्क सूचना दाता द्वारा रजिस्ट्रार को जमा कराना होगा और विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसको पूर्ण करना होगा।

#### विलम्बित रजिस्ट्रीकरण

भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रभाव में आने से पूर्व एवं बाद की विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 में सुविधायें प्रदान की गई हैं। जिनके लिये निम्नलिखित कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करनी होती हैं-

जिस जन्म या मृत्यु की सूचना (इत्तला) रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के 21 दिन के पश्चात् किन्तु 30 दिवस के भीतर दी जावे वह रजिस्ट्रार द्वारा 1/- रुपये के विलम्बित शुल्क का संदाय (भुगतान) करने पर रजिस्ट्रीकृत की जावेगी।

#### • उप नियम 9(2) के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण:-

जिस जन्म या मृत्यु की सूचना (इत्तला) रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के 30 दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर दी जावे वह केवल जिला रजिस्ट्रार/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से और 1/-रुपये के विलम्बित शुल्क का संदाय (भुगतान) करने और नोटेरी पब्लिक या इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र पेश करने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जावेगी।

#### • उप नियम 9(3) के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण:-

जो घटना जन्म या मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर रिजस्ट्रीकृत नहीं की गई हो वह किसी कार्यपालक मिजस्ट्रेट के आदेश/अनुज्ञा पर एक रुपये के विलम्ब शुल्क का संदाय (भुगतान) करने पर ही रिजस्ट्रीकृत की जावेगी।

वर्तमान में ऐसी घटनाओं जिनके घटित होने के 30 दिवस के पश्चात् तथा एक वर्ष की अविध के भीतर रिजस्ट्रीकरण के लिये रिजस्ट्रार को सूचना प्राप्त होती है उसके लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये निम्न अधिकारियों को राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है:-

- अ. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संयुक्त/उप निदेशक सम्बन्धित जिले के लिये।
- ब.जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर निकाय- एक लाख से अधिक आबादी वाली नगर निगम/नगर परिषद के आयुक्त को उसके प्राधिकृत कार्यक्षेत्र के लिये।
- स. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी को प्राधिकृत कार्यक्षेत्र के लिये। जन्म और मृत्यु की ऐसी घटनायें जिनकी सूचना एक वर्ष बाद रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्राप्त होती हैं, में अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये राज्य सरकार ने निम्न अधिकारियों को प्राधिकृत कार्य क्षेत्र के लिये अधिकृत कर रखा है:-
- 1. तहसीलदार
- 2.ए.सी.एम.
- **3.एस.डी.एम**.
- 4.ए.डी.एम.
- 5.सिटी मजिस्ट्रेट
- 6.जिला कलेक्टर

#### 1.3 अधिनियम की धारा 10(2) एवं 10(3) के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाण पत्र

(अ) यह योजना वर्ष 1986 से राज्य के 186 राजकीय चिकित्सालयों में लागू की गई थी। वर्ष 2024 तक जिले में मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाण पत्र की रिपोर्टिंग करने वाले चिकित्सालयों की संख्या 303 हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय बीमारियों के वर्गीकरण-10 (आई.सी.डी.) के आधार पर प्रत्येक बीमारी के कारणों को कोड दिया गया है। मृत्यु के प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण इसी आधार पर दिया जाता है। मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाण पत्र उन चिकित्साधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं जिनकी चिकित्सा परिचर्या के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो।

(ब) राजकीय/निजी चिकित्सालयों मे पहचान पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन ऑनलाइन करते समय मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण कोड अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाता है जिसका सारणीयन एवं प्रतिवेदन का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है एवं एमसीसीडी का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

1.4 जन्म-मृत्यु रिजस्ट्रीकरण कार्य की क्रियान्विति- राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के उपबन्धों तथा इसके तहत बनाये गये नियमों एवं दिये गये आदेशों के निष्पादन के लिये मुख्य रिजस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को राज्य मे मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी नियुक्त किया गया हैं। उक्त अधिनियम एवं नियमों के तहत रिजस्ट्रीकरण तथा जीवनांक सांख्यिकी के आंकड़ों का संकलन नियमित रुप से किया जाता है।

(अ) अपराधों का अभियोजन एवं जुर्माना- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 के तहत जन्म, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम/अधिनियम के क्रियान्वयन में बिना युक्तिसंगत कारण के कोई व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी लापरवाही या उदासीनता प्रकट करता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जिसके तहत जिला रजिस्ट्रारों द्वारा ऐसे रजिस्ट्रार जिन्होंने जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य में शिथिलता अथवा लापरवाही बरती है, उनके विरूद्ध शास्तियां आरोपित की है।

#### (ब) नियुक्तियाँ

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये विभिन्न पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की गई है—

#### रजिस्ट्रारों की नियुक्तिः-

प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण इकाई में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की हुई है। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर निकाय का अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

#### उप रजिस्ट्रारों की नियुक्तिः-

रिजस्ट्रीकरण कार्य को सुलभ बनाने के लिये जिले में 155 चिकित्सा इकाईयों (सीएचसी/पीएचसी/राजकीय चिकित्सालय)को उनके क्षेत्राधिकार में होने वाली जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के रिजस्ट्रीकरण के लिए उप रिजस्ट्रार नियुक्त किया गया हैं।

#### सूचकों की नियुक्तिः-

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में नियुक्त सूचकों को प्रपत्र 1, 2 व 3 उपलब्ध कराये गये और निर्देश दिये गये कि वे अपने क्षेत्र में हुई जन्म व मृत्यु की घटनाओं को इन प्रपत्रों में इन्द्राज कर स्थानीय रजिस्ट्रार को निर्धारित अविध में रजिस्ट्रीकरण हेतु भिजवायें।

#### 1.5 जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन

राज्य में आमजन को जन्म-मृत्यु रिजस्ट्रीकरण की सुविधा अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने एवं कम्प्यूटराईज्ड प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए एन.आई.सी. द्वारा तैयार किये गये वेबपोर्टल 'पहचान' के माध्यम से राज्य की समस्त रिजस्ट्रीकरण इकाईयों (ग्रामीण एवं शहरी) द्वारा उनके अधिकारिता क्षेत्र में घटित जन्म अथवा मृत्यु के रिजस्ट्रीकरण का कार्य ऑनलाईन किया जाकर सम्बन्धित को डिजिटल हस्ताक्षर/ई-

साईन युक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाये जा रहे है। पूर्व में पहचान पोर्टल का लिंक https://pehchan.rajasthan.gov.in/ के स्थान पर वर्तमान में https://Pehchan.rajasthan.gov.in है आमजन को उसके आवास के नजदीक सरल, सुगम एवं शीघ्र ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से जयपुर में कार्यरत लगभग 8290 ई-मित्र केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से वेबपोर्टल 'पहचान' पर जन्म अथवा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने एवं रजिस्ट्रेशन पश्चात् ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

जयपुर के लगभग 148 निजी चिकित्सालयों को वेब पोर्टल पहचान पर ऑनलाईन आवेदन करने एवं रजिस्ट्रेशन पश्चात ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाईन रिजस्ट्रेशन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को आवेदन पत्र की स्थिति एवं प्रमाण पत्र की जानकारी उनके मोबाईल फोन पर एस.एम.एस.के जिरये दी जा रही है, प्रमाण पत्र ई-मेल के जिरये भी भेजा जा रहा है तथा प्रार्थी का ई-वोल्ट अकाउंट होने पर प्रमाण पत्र सीधे उनके ई-वोल्ट अकाउंट में चला जाता है, साथ ही 'पहचान' पोर्टल में आमजन को ई-साईन युक्त प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई।

'पहचान' वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रारों के सम्पर्क सूत्र, नियम-अधिनियम, परिपत्र एवं जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त वेबपोर्टल 'पहचान' पर सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली में सुधार हेतु आमजन से सुझाव का भी प्रावधान रखा गया है।

पहचान वेब पोर्टल की मोबाईल एन्ड्रॉयड ऐप प्रारम्भ की गई है। जिसके माध्यम से मोबाईल पर आवेदन करने/आवेदन की स्थिति एवं रजिस्ट्रारों के सम्पर्क सूत्र की जानकारी ली जा सकती है।

'पहचान' वेबपोर्टल आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स आधारित 'निक्की चैट बोर्ड' सेवा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में प्रारम्भ की गई है जिसके द्वारा आमजन को सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नो की जानकारियाँ चैट सेवा के माध्यम से दी जा रही है।

#### 1.6 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन को शत प्रतिशत करने हेतु किए गए उपाय

#### (अ) प्रचार-प्रसार

- जिले में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु पंजीयन की जागरूकता हेत् प्रचार-प्रसार।
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में आवश्यक सुधार लाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाऐं आयोजित की गई।
- जिला स्तर से समय-समय पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग कर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्य से जुडे कार्मिकों से संवाद स्थापित किया गया एवं रजिस्ट्रेशन के शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देश दिये गये।
- जिला स्तर पर नियमित रूप से ऑनलाईन रिजस्ट्रेशन की प्रगित की मॉनिटिरंग की गई एवं रिजस्ट्रेशन कार्य में आ रही कठिनाईयों का त्वरित निराकरण किया गया।
- अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर के माध्यम से सभी जिले में आमजन में रजिस्ट्रेशन की जागरूकता हेतु अपील जारी करवाई गई।
- आमजन की सुविधा के लिए ऑनलाईन वेबपोर्टल 'पहचान' की एन्ड्रॉयड मोबाईल ऐप की सुविधा प्रदान की गई, जिससे आमजन को अपने स्मार्टफोन पर आवेदन करने, आवेदन का स्टेटस देखने, पंजीयन पश्चात् प्रमाण पत्र ई-मेल पर प्राप्त करने तथा रजिस्ट्रार से सम्बन्धित जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- जयपुर के लगभग 148 निजी चिकित्सालयों को ऑनलाईन आवेदन करने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई।

- रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार इकाईयों पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण के सुस्पष्ट बोर्ड लगवाये गये।
- जिला व ब्लॉक स्तर पर हेल्पडेस्क का गठन किया गया है।
- पंचायती राज विभाग एवं शहरी निकाय विभाग की बैठकों में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन को मुख्य एजेण्डा में सम्मिलित किया गया है।

#### (ब) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाइयों का निरीक्षण

रिजस्ट्रीकरण इकाइयों में रिजस्ट्रीकरण कार्य में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों व उनके कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी रिजस्ट्रीकरण इकाइयों के निरीक्षण किये गये एवं रिजस्ट्रेशन कार्य में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश एवं सुझाव दिये गये। राज्य स्तर से भी अधिकारियों द्वारा नगरपालिका, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निरीक्षण किये गये। वर्ष 2024 मे ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में 143 रिजस्ट्रार/उप रिजस्ट्रार इकाइयों के निरीक्षण किये गये एवं पाई गई किमयों मे सुधार हेतु सम्बन्धित रिजस्ट्रार/उप रिजस्ट्रार को निर्देश जारी किये गये।

#### रजिस्टार/उप रजिस्टार ईकाईयो के निरीक्षण

क्र.सं .	कार्यालय का नाम	निरीक्षणों की संख्या
		(वर्ष 2024 के दौरान)
1	संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	27
2	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय (समस्त जिला जयपुर)	116

### 2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये है और इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 दिनांक 07.02.2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें मुख्य संशोधन निम्नानुसार है-

- 1. नियम 9 (2) के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात् व 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
- 2. नियम 9 (2) एवं (3) के अन्तर्गत जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात् परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रूपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा 30 दिवस पश्चात् परन्तु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात् दिए जाने पर 100 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 3. नियम 9 (2) में जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।
- 4. नियम 16 (2) में चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 250 रूपये एवं अधिकतम 1000 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।
- 5. नियम 16 (क) में अपील का प्रावधान किया गया है, यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।
- 6. नियम 7 के अन्तर्गत मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र चिकित्सकीय संस्थान में मृत्यु होने पर प्रपत्र-4 में और चिकित्सीय संस्थान के अलावा मृत्यु होने पर प्रपत्र संख्या-4क अनिवार्य रूप से जारी कर मृतक के परिजन को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

## जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

	पूर्व में		वर्तम	ान में		
समयानुसार घटना	पंजीयन की प्रक्रिया	विलम्बित शुल्क		पंजीयन की प्रक्रिया	विलम्	बेत शुल्क
40 II		संस्थागत	गैर संस्थागत		संस्थागत	गैरसंस्थागत
21 दिवस के अन्दर पंजीकृत घटनाऐ	(अ) संबन्धित रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत घटना होने पर) (ब) संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (गैर संस्थागत घटना होने पर)	निःशुल्क	निःशुल्क	(अ) संबन्धित रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत घटना होने पर) (ब) संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (गैर संस्थागत घटना होने पर)	निःशुल्क	निःशुल्क
21 दिवस के बाद एवं 30 दिवस तक	संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत/ गैर संस्थागत घटना होने पर)	1 হ্0	1 रु0	संबन्धित रजिस्ट्रार द्वारा (संस्थागत/ गैर संस्थागत घटना होने पर)	20 रु0	20 ₹0
30 दिवस के बाद एवं 1 वर्ष तक	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना होने पर ग्रामीण क्षेत्र मे संबन्धित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र (नगर परिषद/ नगर पालिका) मे जिला रजिस्ट्रार, कलेक्ट्रेट से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	1 रु0	1 ₹0	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना होने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबन्धित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र (नगर परिषद/ नगर पालिका) मे जिला रजिस्ट्रार, कलेक्ट्रेट से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	20 रु0	50 ₹0
1 वर्षके बाद	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना (ग्रामीण/शहरी) होने पर संबन्धित तहसीलदार से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	1 হ্0	1 रु0	(अ) संस्थागत घटना होने पर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से (ब) गैर संस्थागत घटना (ग्रामीण/शहरी) होने पर संबन्धित तहसीलदार से अनुज्ञा जारी करवाकर संबन्धित रजिस्ट्रार के माध्यम से	20 रु0	100 रु0

#### पेनल्टी का पावधान

पेनल्टी लगाये जाने का कारण	किस पर लगायी जानी है	पूर्व में पेनल्टी	संशोधित पेनल्टी
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर सूचना नहीं देना अथवा जानबुझकर मिथ्या सूचना देना।	सूचनादाता यथा अस्पताल, जेल, अनाथालय, हॉस्टल, धर्मशाला, सेरोगेसी क्लिनिक, दत्तक एंजेसी आदि	50 रुपये	250-1000 रुपये
जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में बिना कारण इनकार करना।	सूचनादाता (रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार)	50 रुपये	250 रुपये
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर सूचना नहीं देना	सूचनादाता (गैर-संस्थागत) यथा घर का मुखिया अथवा नजदीकी रिश्तेदार	१० रुपये	250 रुपये

## 3. राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009

आमजन की सुविधा हेतु राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण के लिए राज्य में वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 21.03.2016 से प्रारम्भ की गयी है।

#### 3.1 रजिस्ट्रीकरण संगठन (विवाह पंजीयन)

#### रजिस्ट्रार

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति विवाह रजिस्टार के रूप में करती है।

- (अ) ग्रामीण क्षेत्र- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव, ग्राम पंचायत को रजिस्ट्रार विवाह पंजीयन नियुक्त किया हुआ है। इसका कार्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित होता है।
- (ब) शहरी क्षेत्र- नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त को रिजस्ट्रार विवाह पंजीयन के पद पर लगाया गया है।

#### जिला विवाह रजिस्टीकरण अधिकारी

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.11.2010 को समस्त जिला कलक्टर को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के लिए जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

#### महारजिस्ट्रार

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मॉनिटर और पुनरीक्षित करने के लिए निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राजस्थान राज्य के लिए विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में इसके द्वारा पदाभिहित करती है।

#### 3.2 आमजन/ ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम में चाही गई सूचनाएँ अनिवार्य रूप से भरी जावेगी तथा आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे:(अ) पहचान एवं पते के दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति (केवल आवेदक की) संलग्न होनी चाहिए। पहचान दस्तावेज के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज हो सकता है:- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि जिनसे फोटो / पते की पहचान हो सके।
  (ब) वर एवं वधू की संयुक्त फोटो (5x3 साईज) अथवा वर व वधू की फोटो कैमरे से खींचकर।
- आवेदक से आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाओं की अनिवार्य रूप से पूर्ति कराई जावेगी।
- 'पहचान' वेबपोर्टल के माध्यम से 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें विकल्प पर क्लिक करना होगा,
  तत्पश्चात् विवाह पंजीयन विकल्प पर क्लिक करना होगा। 'पहचान' पोर्टल पर "आवेदन प्रपत्र" खुलने पर
  ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई सम्पूर्ण सूचनाओं की ध्यानपूर्वक सही-सही
  प्रविष्टि की जावेगी। ध्यान रहे ई-मित्र संचालक द्वारा सूचना प्रविष्ट करने में की गई गलती के लिए उसे
  जिम्मेदार ठहराते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। इससे बचने के लिए प्रविष्ट की गई सूचनाऐं
  कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को पढ़वा दी जावे अथवा प्रिन्ट लेकर आवेदक के हस्ताक्षर करा लिये जावें।
- ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्केन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी फाईल (JPEG file) में अपलोड किया जावेगा।
- सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त ई-िमत्र केन्द्र द्वारा आवेदन प्रपत्र विवाह सम्पन्न होने वाले क्षेत्र के रिजस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित किया जावेगा। अथवा ई-िमत्र केन्द्र, वर-वधू विवाह पश्चात् जिस क्षेत्र में विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने के तत्काल कम से कम 30 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हों, तो उस क्षेत्र के रिजस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित करेगा।

#### 3.3 रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- रिजस्ट्रार (विवाह पंजीयन) प्राप्त आवेदन पत्र को अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात पंजीकृत करेगा।
- आवेदन पत्र की जांच उपरान्त सही पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में कमी होने पर किमयों का अंकन करते हुए, रिजस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा तिथि निर्धारित कर, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी, आवेदनकर्ता (वर एवं वधू) को रिजस्ट्रार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सिहत उपस्थित होने की सूचना मोबाईल पर SMS के द्वारा दी जावेगी। वर-वधू को निर्धारित दिनांक को सम्बन्धित रिजस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें:-

वर एवं वधू प्रत्येक की एक-एक पासपोर्ट साईज फोटो

वर व वधू की संयुक्त फोटो (5" x 3" साईज)

वर व वधू की पहचान व पता का दस्तावेज

वर व वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र

वर व वधू का अलग-अलग शपथ पत्र

विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र तथा पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष हेत्)

- शादी का कार्ड (वर व वधू दोनो पक्ष का) यदि उपलब्ध हो
- रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा वर एवं वधू दोनो के उपस्थित होने एवं मूल दस्तावेजों की पूर्ण जांच

- कर सन्तुष्टि के पश्चात् विवाह का पंजीयन किया जावेगा एवं निर्धारित प्रपत्र में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
- यदि आवेदन पत्र में कोई कमी है तो इसकी उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज करेगा एवं इसकी सूचना आवेदक को मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा दी जावेगी।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में की गई आपत्ति का SMS प्राप्त होने पर सम्बन्धित ई-मित्र पर आवेदन पत्र में पाई गई आपत्ति / कमी की पूर्ति की जावेगी। इसके पश्चात् उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

#### 3.4 रजिस्ट्रेशन शुल्क

• विवाह सम्पन्न होने की तिथि के 30 दिन की अविध में 10/- रूपये एवं 30 दिन पश्चात् 100/- रूपये पंजीयन शुल्क देय होगा।

#### 3.5 विवाह रजिस्ट्रेशन को शत प्रतिशत करने हेतु किए गए उपाय

- जिले में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह पंजीयन के लिए जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार।
- विवाह रजिस्ट्रेशन में आवश्यक सुधार लाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाऐं आयोजित की गई।
- जिला स्तर से समय-समय पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग कर विवाह रजिस्ट्रेशन कार्य से जुडे कार्मिकों से संवाद स्थापित किया गया एवं रजिस्ट्रेशन के शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देश दिये गये।
- जिला स्तर पर नियमित रूप से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रगति की मॉनिटरिंग की गई एवं रजिस्ट्रेशन कार्य में आ रही कठिनाईयों का त्वरित निराकरण किया गया।
- विवाह रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने एवं समस्याओं के समाधान हेतु जिला/ब्लॉक स्तरीय हेल्पलाइन नम्बर जारी किए गए हैं।
- रिजस्ट्रीकरण इकाइयों में रिजस्ट्रीकरण कार्य में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है

## 4. जन्म-मृत्यु से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश

क्र.स.	विषय	आदेश क्रमांक	विवरण
2	गतिमान यान में मृत्यु का पंजीकरण के सम्बन्ध में  एक अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में जन्म का रजिस्ट्रेशन	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म- मृत्यु )एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक 125256 दिनांक 20.02.2018 मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु )एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक/44848/2016 दिनांक	यान का प्रभारी व्यक्ति प्रथम विराम स्थल पर इतीला देगा, यदि यान प्रभारी उक्त सूचना नहीं देता है तो मृत्यु का पंजीकरण अन्तिम संस्कार वाले क्षेत्र में होगा एक अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में जन्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ शपथ पत्र के आधार पर किया जावे जन्म प्रमाण पत्र में एकल अभिभावक का नाम लिखा जावें दूसरे अभिभावक का रिक्त छोडा
4	एकल अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में जन्म रजिस्ट्रेशन बाबत् अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करना	01.02.2016  मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु )एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक/73223/2017 दिनांक 1- 09-2017  उपनिदेशक (सी.आर.एस) गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के पत्रांक 03-07- 2015	जावे  माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णयानुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता द्वारा स्वयं के बालक/ बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर बगैर कोई बाधा के प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अनाथ बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी न होने पर, स्थान जहाँ अनाथालय स्थित है। अथवा जहां बच्चा रह रहा है, उस स्थान को बच्चे का जन्म स्थान माना जाए। एवं माता- पिता के नाम की जानकारी न होने के मामले में, माता- पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग
5	मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक की एक से अधिक पत्नी होने पर नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी	फॉर्म में खाली रखा जायेगा। प्रथम विवाहित पत्नी के जीवित रहते हुए अथवा प्रथम पत्नी से विधिक विवाह विच्छेद नहीं होने पर भी दूसरी स्त्नी से किया गया विवाह कानूनी तौर पर अकृत है। और शुन्य माना जायेगा एवं प्रथम पत्नी का नाम ही मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज किया जायेगा एवं मुस्लिम पुरूष मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में एक से अधिक परन्तु अधिकतम चार जो विवाह पंजीकरण के समय अस्तित्व में हो का नाम दर्ज किया जा सकता है।

6	जन्म रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु )एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के परिपत्र /11/ दिनांक 08-01-2020	बालक/बालिका का जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किये जाने का प्रावधान है। तथा बालक/बालिका के माता-पिता या संरक्षक को यह सुविधा प्रदान की हुई है कि बालक/बालिका के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह में निशुल्क तथा 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5 विलंभ शुल्क के साथ बालक/बालिका का नाम जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में प्रविष्ट कराया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
7	गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण		ऐसे मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन केवल सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जायेगा और मृत्यु की तारीख वह होगी जिस तारीख को वादी न्यायालय में गया तो ऐसे में यह उपयुक्त होगा की मृत्यु का स्थान वह स्थान हो सकता है जहाँ वादी न्यायालय में गया है।
8	लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक 19085-19116 दिनांक 02.07.2002	पुलिस थाने में लापता व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से 07 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिये।
9	जन्म रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन बाबत	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	आवेदक को नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात रिकॉर्ड में केवल एक बार नाम में परिवर्तन रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा
10	रजिस्ट्रार/उपरजि स्ट्रार द्वारा स्वयं की लागिन आई.डी एवं पासवर्ड सुविधा अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने के संबंध मे	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक /69605/2017 दिनांक 30-05- 2017	रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा स्वयं की लागिन आई.डी एवं पासवर्ड अन्य व्यक्ति या ई-मित्र संचालक, कम्यूटर ऑपरेटर इत्यादि को उपलब्ध नहीं कराने हेतु पाबन्द किया गया है।
11	मिथ्या/गलत तथ्यों पर आधारित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में	निदेशक एवं संयुक्त शासन	ऐसे प्रकरण जिसमें गलत तथ्यों एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कराये जाते है तो जिला रजिस्ट्रार उन प्रकरणों के तथ्यों की जाँच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करावें तथा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए प्रमाण पत्र को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण

12	जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की छूट	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक जीवनांक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक 613 दिनांक 30.06.2022	अधिनियम 1969 की धारा 15एवं राज्य नियम, 2000 के नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त करवाए मृतक की घटना का आवेदन करने पर मृतक का एवं मृतक के माता/पिता का जनआधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में, राजस्थान के बाहर निवासियों के लिए, वर या वधु दोनो में से एक राजस्थान के बाहर का निवासी होने की स्थिति में, दत्तक ग्रहीता राजस्थान के बाहर के निवासी होने पर, अनाथालय में निवास कर रहे व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन में, लावारिस/अज्ञात मृतक की स्थिति में जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की छूट प्रदान की गई है।
13	नवजात शिशु एवं शव की सूचना थाना प्रभारी द्वारा रजिस्ट्रार को देना	प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक. प.4 (1) गृह 6/2006 दिनांक 5/10/ 2006	सार्वजनिक स्थानों पर अभित्यक्त पाये गये नवजात शिशु या शव के बारे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (5) के द्वारा स्थानीय पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर पर यह दायित्व डाला गया है कि वे ऐसे नवजात शिशु या शव की सूचना धारा 16 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को दें
14	जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निष्पादित शपथ पत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का परिहार सम्बन्धी अधिसूचना	शासन उप सचिव वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.08.2010	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है। एतद्वारा राजस्थान राज्य के भीतर जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित शपथपत्रों पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती हैं।

15	जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम संशोधन के सम्बन्ध में	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के परिपत्र क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस /डीईएस/2013/1/34381/2015 दिनांक: 03.07.2015	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 तथा तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) उससे सन्तुष्ट है तब वह पहले से पंजीकृत घटना के विवरण में संशोधन कर सकता है तथा यह सुनिश्चित हो जाए कि सम्बन्धित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः या प्ररूपतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है।
16	पहले से दर्ज की गई जन्म अथवा मृत्यु की किसी घटना में किसी व्यक्ति के नाम के पश्चात 'उर्फ लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के परिपत्र क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस /डीईएस/2013/1/34381/2015 दिनांक: 03.07.2015	यदि रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये साक्ष्य से एवं इस बात से सन्तुष्ट हो कि सम्बन्धित प्रविष्टि अनुचित रूप से की गई तब मूल नाम के साथ 'उर्फ लगाकर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तथा बालक / बालिका की अंकतालिका को जन्म प्रमाण पत्र में तिथि परिवर्तन के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।
17	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को जन्म और मृत्यु के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना	मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के परिपत्र क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस /डीईएस/2013/43996 दिनांक: 12.01.2016	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ब्लॉक में रजिस्ट्रीकरण कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है।
18	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को निरस्तीकरण प्रक्रिया का विकल्प देने बाबत् ।	उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप निदेशक (जीवनांक) के पत्र क्रमांक:- एफ 13/5/13/एनजी / वीएस / डीईएस / 2015/76175/47034 दिनांक: 09.03.2016	जनसुविधा एवं कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक सांख्यिकी और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है साथ ही निरस्तीकरण (Cancellation) के अधिकार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी को प्रदान किये गये है।

19	जन्म प्रमाण पत्र में माता के नाम के सामने सरनेम (उपनाम) लगाने के संबंध में।	सहायक निदेशक भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के पत्र क्रमांक सं./ No.1/37/2004 - जीवनांक (सीआरएस) दिनांक 12.12.2006	जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 तथा तत्संबंधी राज्य नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु उससे संतुष्ट है तो वह जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकता है। इस संबंध में यदि चाहें तो आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है।
20	गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने परिवर्तन करने की प्रकिया के संबंध में दिशा- निर्देश जारी करना।	भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के पत्र क्रमांक सं./No.1/7/2011-जीवनांक (सी.आर.एस) दिनांक 17.4.2012	यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म का रिजस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो उस मामले में जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है उसी स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाएगा। सी.एम.ओ. अथवा किसी विधिवत लाइसेंसशुदा फिजीशियन द्वारा निर्धारित और स्थानीय मिजस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तक आदेश / विलेख में बताई गई तिथि को जन्म सूचना प्रपत्र में बच्चे की जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जाएगा।
21	जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के पिता का नाम हटाने हेतु	उप महारजिस्ट्रा (सी.आर.एस.) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय स./NO - 1/2/राज./2012-जीवनांक (सी.आर.एस.) दिनांक 12-07- 2012	अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण पहले से दर्ज पिता के नाम को नहीं बदला जा सकता।

## 5. विवाह से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश

क्र. —	विषय	आदेश क्रमांक	विवरण
<b>क्र.</b> स	विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में  विधवा/विधुर के विवाह पंजीयन के सम्बन्ध में	महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिवके पत्रांक एफ13/1/3/ अ.अभि./वि.पं/वीएस/डीईएस /2018/158िदनांकः 09/04/2019  महारजिस्ट्रार (विवाह) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के पत्र क्रमांक एफ 13/1/3/वि.पं./वीएस /डीईएस/डीईए	जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है विवाह के साक्ष्य के लिये उसके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र नही दिये जाने एवं विवाह के अन्य सभी साक्ष्य रिजस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होने पर रिजस्ट्रार मृतक के माता पिता अथवा संरक्षक को विवाह के पंजीकरण के संबंध में 15 दिवस में शपथ पत्र देने एवं उपस्थित होने हेतु रिजस्टर्ड नोटिस प्रेषित करेगा। रिजस्टर्ड नोटिस के पश्चात भी यदि मृतक पक्ष के माता, पिता अथवा संरक्षक शपथ पत्र नही देते है अथवा / और उपस्थित नही होते है तो निम्न प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन करवाया जावें:- "रिजस्ट्रार विवाह में उपस्थित अन्य चार प्रतिष्ठित गवाहों के शपथ पत्र एवं बयान पश्चात सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करेगा एवं स्वय की संतुष्ठि उपरान्त विवाह के मृतक पक्ष के माता पिता / संरक्षक की उपस्थित की छूट देकर नियमानुसार विवाह का पंजीकरण करेगा एवं पंजीकरण रिजस्टर में संबंधित गवाहों के हस्ताक्षर भी लेगा। विधवा /विधुर के विवाह पंजीकरण हेतु अनुष्ठापित हुए विवाह के जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है उसके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र तथा विवाह सम्पन्न के सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य यथा विवाह को अनुष्ठापित करवाये जाने वाले धार्मिक
		16 दिनांक:- 8-08-2016	व्यक्ति या विवाह का कार्ड एवं स्वतंत्र गवाह के शपथ पत्रों के आधार पर विवाह का पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जावे ।
3	विवाह प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में	शासन उप सचिव गृह विभाग ग्रुप-13 के पत्रांक 2006 दिनांक 11.09.2007	नाम परिर्वतन का गजट नोटिफिकेशन निकलवाये एवं राशन कार्ड में नाम परिवर्तन करवाने के बाद विवाह प्रमाण पत्र का पंजीयन किया जा सकता है।
4	विदेशी नागरिकों,जिसमें पति पत्नि दोनो या पति एवं पत्नि दोनो में से एक विदेशी नागरीक होने पर	शासन उप सचिव गृह विभाग ग्रुप-13 के पत्रांक 2006 दिनांक 03.11.2011	अनुष्ठापित होने वाले विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत होगा, जिसका प्रशासनिक विभाग विधि विभाग है। एवं जिला कलक्टर जिला विवाह पंजीयन अधिकारी है।


5	वर की आयु 21
	वर्ष एवं वधू की
	आयु 18 वर्ष से
	कम होने पर
	विवाह पंजीयन के
	सम्बन्ध में
	मार्गदर्शन बाबत् ।

महारजिस्ट्रार (विवाह) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन, तिलक मार्ग,जयपुर के पत्रांक एफ 13/1/3/वि.पं./वीएस /डीईएस/2015/1/55017/20 16 दिनांक:- 8-08-2016 वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम होने पर आवेदक के दस्तावेजों की पूर्ण जांच के पश्चात् पंजीयक की संतुष्टि पर विवाह का पंजीयन किया जा सकता है। परन्तु साथ ही विवाह पंजीयक को ऐसे पक्षकारों के माता पिता /संरक्षक एवं अन्य के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वांछित कार्यवाही करने हेतु जिला विवाह पंजीयन अधिकारी (जिला कलेक्टर) को सूचित किया जाना भी वांछनीय है।

### 6. जन्म का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)

#### 6.1 शहरी क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण

वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल
2020	26332	24261	2	50595
2021	25080	23158	0	48238
2022	24006	22331	1	46338
2023	23611	22444	0	46055
2024	23339	21693	1	45033




## 6.2 शहरी क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार )

क्र.	शहरी क्षेत्र	20	20	20	21	20	22	20	23	20	24
सं.	राहरा दान	पुरुष	स्त्री								
1	चौमू	5353	4983	5452	5043	5421	4937	5184	4924	5539	5144
2	सांभर	110	120	57	65	99	88	171	173	195	214
3	चाकसू	1406	1330	1303	1187	1469	1434	1598	1495	1530	1364
4	कोटपूतली	6047	5413	5785	5185	5327	4781	5045	4491	4710	4220
5	जोबनेर	86	87	76	59	48	60	45	39	38	47
6	फुलेरा	2651	2582	2525	2404	2183	2121	1997	2050	2016	1881
7	विराटनगर	1430	1327	1289	1201	1159	1131	1122	956	967	889
8	शाहपुरा	2453	2249	2298	2148	2210	2163	2107	2118	2075	1988
9	रेनवाल	336	271	318	285	400	370	971	906	992	910
10	बगरु	519	482	433	424	519	473	532	650	528	550
11	पावटा	1374	1237	1130	1091	1129	986	945	873	906	877
12	बस्सी	1221	1173	1372	1228	1277	1146	1411	1311	1461	1420
13	नरायना	49	48	22	38	9	8	4	14	5	6
14	मनोहरपुर	528	457	447	388	382	406	363	328	324	293
15	फागी	525	505	581	542	610	543	590	565	478	459
16	वाटिका	518	410	498	477	454	410	454	447	449	427
17	दूदू	461	434	401	444	388	396	317	320	329	288
18	जमवारामगढ़	1265	1153	1093	949	922	878	755	784	797	716
	योग	26332	24261	25080	23158	24006	22331	23611	22444	23339	21693

## 6.3 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण


	जयपुर								
वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल					
2020	5119	4755	0	9874					
2021	4135	3956	0	8091					
2022	4082	3978	1	8061					
2023	4210	3944	0	8154					
2024	4047	3864	0	7911					



## 6.4 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार )


क्र. . ग्रामीण क्षेत्र	202	20	20	21	20	22	20	23	20	24	
सं.	সাদাণ বস	पुरुष	स्त्री								
1	कोटपूतली	13	21	13	19	17	19	9	17	10	7
2	विराटनगर	10	11	4	11	6	7	5	6	3	3
3	शाहपुरा	20	20	10	14	5	8	1	2	3	3
4	गोविन्दगढ	653	625	548	560	741	671	597	612	547	517
5	सांभर	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0
6	दूदू	73	74	34	56	25	47	20	36	2	17
7	फागी	12	15	4	6	1	3	2	4	1	2
8	सांगानेर	150	121	82	62	88	97	77	76	79	86
9	झोटवाडा	582	505	468	466	501	484	532	471	653	591
10	आमेर	461	397	469	393	571	558	914	744	860	892
11	जमवा रामगढ़	139	129	106	92	64	60	43	42	41	41
12	बस्सी	2018	1805	1513	1383	1355	1328	1348	1219	1246	1117
13	चाकसू	18	12	2	10	4	8	4	4	3	5
14	पावटा	7	9	6	3	0	0	0	4	0	1
15	जालसू	193	215	148	139	124	144	139	141	106	125
16	तूंगा	4	1	2	1	2	0	1	0	0	0
17	कोटखवदा	152	160	154	158	76	76	66	53	46	40
18	माधोराजपुरा	288	276	214	223	185	169	176	212	220	174
19	मौजमाबाद	52	54	52	55	55	61	65	55	29	36
20	आँधी	20	30	40	51	29	29	22	54	24	34
21	किशनगढ रेनवाल	127	120	88	79	86	86	83	91	92	94
22	जोबनेर	126	155	176	175	146	123	105	101	82	79
	योग	5119	4755	4135	3956	4082	3978	4210	3944	4047	3864

## शहरी एवं ग्रामीण जन्म पंजीकरण संस्थागत वर्ष वार



## 6.5 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण

	जयपुर								
वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल					
2020	331	284	0	615					
2021	171	113	0	284					
2022	113	105	0	218					
2023	86	79	0	165					
2024	130	118	2	250					




## 6.6 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार)

क्र.			20	20	21	20	22	20	23	20	24
सं.		पुरुष	स्त्री								
1	चौमू	9	6	7	2	1	3	0	1	0	2
2	सांभर	5	2	4	1	1	0	3	3	1	1
3	चाकसू	30	23	19	14	4	9	3	2	0	0
4	जोबनेर	3	2	4	1	1	1	1	0	1	0
5	फुलेरा	3	1	3	1	1	1	0	0	0	0
6	शाहपुरा	11	16	9	7	7	5	3	3	1	1
7	रेनवाल	9	10	6	6	4	7	1	7	0	2
8	बगरु	69	70	61	49	53	37	37	41	39	41
9	बस्सी	5	2	3	3	1	5	1	1	0	0
10	नरायना	14	9	6	3	7	6	6	4	0	1
11	मनोहरपुर	15	23	11	8	7	6	11	5	13	7
12	फागी	98	83	2	2	10	9	8	5	71	61
13	वाटिका	3	2	3	0	2	0	0	1	0	0
14	दूदू	4	1	6	1	0	3	3	0	1	1
15	जमवारामगढ़	10	7	7	5	5	4	5	1	0	0
16	कोटपूतली	30	15	11	4	4	3	2	2	0	0
17	विराटनगर	9	7	5	5	2	3	2	2	0	0
18	पावटा	4	5	4	1	3	3	0	1	3	1
	योग	331	284	171	113	113	105	86	79	130	118

## 6.7 ग्रामीण में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण


	जयपुर								
वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल					
2020	1610	1207	1	2818					
2021	1236	1009	0	2245					
2022	828	674	2	1504					
2023	662	560	2	1224					
2024	561	484	2	1047					



## 6.8 ग्रामीण में गैर संस्थागत जन्म पंजीकरण (ब्लॉक वार )

क्र. ग्रामीण क्षेत्र		2020		2021		2022		2023		2024	
सं.	ત્રાનાગ લાત	पुरुष	स्त्री								
1	शाहपुरा	86	54	47	27	15	21	8	6	7	4
2	गोविन्दगढ	41	34	22	16	10	8	8	5	5	4
3	सांभर	27	17	25	16	12	6	5	1	3	3
4	दूदू	38	33	49	21	21	8	12	5	5	3
5	फागी	59	47	48	41	28	21	25	14	7	14
6	सांगानेर	131	93	91	75	53	52	32	28	16	28
7	झोटवाडा	78	63	63	47	36	34	21	23	18	5
8	आमेर	121	92	81	58	39	26	30	17	2	5
9	जमवारामगढ़	138	102	87	76	40	30	22	16	8	4
10	बस्सी	42	49	37	39	24	18	11	19	10	13
11	चाकसू	29	20	25	16	12	12	4	6	0	2
12	जालसू	131	80	90	98	84	90	73	72	98	84
13	तूंगा	53	28	18	25	13	7	2	9	2	3
14	कोटखवदा	37	28	31	15	12	13	7	7	4	0
15	माधोराजपुरा	179	176	244	253	286	221	314	261	333	286
16	मौजमाबाद	113	71	74	46	44	29	24	27	22	7
17	<b>ગાઁ</b> ધી	64	41	40	31	17	20	20	9	5	6
18	किशनगढ रेनवाल	36	32	20	16	15	8	5	3	3	3
19	जोबनेर	46	28	19	19	15	9	12	7	1	4
20	कोटपूतली	50	46	39	26	24	13	4	4	6	2
21	विराटनगर	76	50	62	31	24	19	17	16	2	1
22	पावटा	35	23	24	17	4	9	6	5	4	3
योग		1610	1207	1236	1009	828	674	662	560	561	484


### शहरी एवं ग्रामीण जन्म पंजीकरण (गैर संस्थागत) वर्ष वार



## 7. मृत्यु का पंजीकरण (संस्थागत एवं गैर संस्थागत)

## 7.1 शहरी क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु पंजीकरण

·								
	जयपुर							
वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल				
2020	729	338	0	1067				
2021	1107	581	0	1688				
2022	1228	573	0	1801				
2023	1288	645	0	1933				
2024	1602	804	0	2406				




## 7.2 शहरी क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु पंजीकरण (ब्लॉक वार )

क्र.	शहरी क्षेत्र	2020		2021		2022		2023		2024	
सं.	d.		स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	चौमू	328	169	623	344	772	398	848	444	1063	544
2	सांभर	9	2	14	7	16	2	19	7	12	4
3	चाकसू	8	2	8	2	8	2	19	5	8	2
4	जोबनेर	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
5	फुलेरा	17	4	8	4	12	2	11	5	13	11
6	शाहपुरा	19	8	37	11	35	15	39	20	37	11
7	रेनवाल	19	5	16	4	5	3	7	5	14	10
8	बगरु	1	1	0	0	4	0	3	1	4	2
9	बस्सी	9	1	6	1	15	2	19	10	5	4
10	नरायना	38	31	54	28	31	14	3	4	6	0
11	मनोहरपुर	7	1	5	1	10	3	1	1	1	0
12	फागी	4	4	7	2	5	3	7	0	7	3
13	वाटिका	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0
14	दूदू	11	2	34	19	38	9	14	4	17	8
15	जमवारामगढ़	2	0	8	1	3	1	12	3	12	8
16	कोटपूतली	247	105	272	146	265	115	269	133	392	190
17	विराटनगर	2	2	5	2	3	0	1	0	0	1
18	पावटा	8	1	10	7	4	4	12	2	10	6
योग		729	338	1107	581	1228	573	1288	645	1602	804

## 7.3 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु पंजीकरण


	जयपुर							
वर्ष	वर्ष पुरुष स्त्री		ट्रांसजेंडर	कुल				
2020	852	363	0	1215				
2021	981	495	0	1476				
2022	960	411	0	1371				
2023	1351	548	0	1899				
2024	1964	951	0	2915				



### 7.4 ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण (ब्लॉक वार )


क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	20	20	20	21	20	22	202	23	2024	
प्र≀. स.	त्रामाण वत्र	पुरुष	स्त्री								
1	शाहपुरा	4	0	3	1	1	0	3	0	4	0
2	गोविन्दगढ	10	2	15	4	13	9	6	2	2	4
3	सांभर	2	0	3	3	2	0	2	2	1	4
4	दूदू	28	13	31	22	19	7	15	9	18	13
5	फागी	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सांगानेर	6	4	29	13	4	0	5	3	8	3
7	झोटवाडा	241	111	279	152	183	84	176	75	164	102
8	आमेर	463	194	542	250	665	277	1066	411	1680	787
9	जमवा रामगढ़	3	1	4	5	5	0	3	1	2	1
10	बस्सी	16	10	13	7	10	6	13	9	18	7
11	चाकसू	16	6	6	2	6	3	5	6	12	7
12	जालसू	0	0	2	1	1	3	4	1	2	1
13	तूंगा	1	0	2	3	5	4	5	6	4	2
14	कोटखवदा	7	3	7	4	14	4	11	4	5	2
15	माधोराजपुरा	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
16	मौजमाबाद	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
17	आँधी	28	9	23	12	15	7	19	11	24	5
18	किशनगढ रेनवाल	1	1	0	1	2	0	3	0	5	1
19	जोबनेर	2	1	2	1	1	0	1	1	1	2
20	कोटपूतली	4	1	1	0	1	2	4	1	2	3
21	विराटनगर	13	1	13	8	5	4	5	3	6	3
22	पावटा	3	2	6	5	6	1	1	3	5	3
	योग	852	363	981	495	960	411	1351	548	1964	951

### शहरी एवं ग्रामीण मृत्यु पंजीकरण (संस्थागत) वर्ष वार



### 7.5 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण

		जयपुर								
वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल						
2020	1454	970	1	2425						
2021	1633	1194	0	2827						
2022	1362	889	0	2251						
2023	1286	918	0	2204						
2024	1282	856	0	2138						




### 7.6 शहरी क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण (ब्लॉक वार )

7.0 4	गैर संस्थागत मृत्यु										
क्र.	शहरी क्षेत्र	20	20	20	2021		22	202	23	202	24
सं.	राहरा पात	पुरुष	स्त्री								
1	चौमू	160	107	144	125	166	115	159	93	148	81
2	सांभर	75	73	114	74	49	45	66	47	76	59
3	चाकसू	108	72	129	69	99	74	96	59	98	65
4	जोबनेर	42	33	39	43	33	22	37	34	27	16
5	फुलेरा	91	64	76	75	67	66	63	49	62	54
6	शाहपुरा	111	60	102	75	87	54	59	56	79	59
7	रेनवाल	66	51	75	80	72	50	77	68	89	61
8	बगरु	75	57	95	60	88	68	100	53	93	53
9	बस्सी	91	41	84	51	72	31	63	44	72	49
10	नरायना	12	5	13	13	15	6	32	30	40	45
11	मनोहरपुर	58	29	65	52	70	34	60	30	37	31
12	फागी	42	34	51	30	43	23	39	27	66	28
13	वाटिका	31	24	43	37	45	24	17	19	38	29
14	दूदू	59	40	69	44	60	29	67	38	52	22
15	जमवारामगढ़	41	36	53	50	49	26	48	35	43	21
16	कोटपूतली	258	145	299	197	228	139	189	154	139	95
17	विराटनगर	56	29	69	55	36	34	43	34	50	27
18	पावटा	78	70	113	64	83	49	71	48	73	61
	योग	1454	970	1633	1194	1362	889	1286	918	1282	856

### 7.7 ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण


		जयपुर								
वर्ष	पुरुष	स्त्री	ट्रांसजेंडर	कुल						
2020	8425	5493	0	13918						
2021	9455	7031	0	16486						
2022	8367	5370	0	13737						
2023	7623	4947	0	12570						
2024	8132	5469	0	13601						



# 7.8 ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत मृत्यु का पंजीकरण (ब्लॉक वार )

क्र.	1 1111111111111111111111111111111111111		20	20	21	20	22	20	23	20	24
सं.	ZII - II - QIZI	पुरुष	स्त्री								
1	शाहपुरा	516	327	552	419	492	309	415	286	422	316
2	गोविन्दगढ	780	569	879	711	778	536	723	491	753	517
3	सांभर	343	223	366	310	321	201	289	182	304	227
4	दूदू	263	166	285	209	285	154	263	168	263	152
5	फागी	287	177	347	227	285	184	278	174	262	183
6	सांगानेर	469	313	532	436	501	325	412	289	545	309
7	झोटवाडा	385	241	376	281	334	217	325	224	416	246
8	आमेर	444	256	475	348	388	252	356	260	373	263
9	जमवा रामगढ़	412	323	482	368	422	289	394	238	354	232
10	बस्सी	490	330	602	443	511	331	467	292	519	336
11	चाकसू	275	186	313	228	298	208	269	157	297	192
12	जालसू	407	260	472	365	442	247	373	252	393	292
13	तूंगा	284	198	332	231	283	194	223	172	266	184
14	कोटखवदा	288	185	287	224	270	170	275	179	254	177
15	माधोराजपुरा	271	189	318	266	275	161	243	160	278	194
16	मौजमाबाद	361	238	411	300	386	245	373	236	396	281
17	आँधी	333	207	378	249	324	192	311	154	283	189
18	किशनगढ	2.40	240	204	210	262	226	244	220	272	250
	रेनवाल	340	249	394	310	362	236	344	239	373	258
19	जोबनेर	348	202	347	244	324	223	281	185	313	208
20	कोटपूतली	313	196	397	246	307	186	277	148	283	180
21	विराटनगर	438	220	469	328	427	267	396	263	410	293
22	पावटा	378	238	441	288	352	243	336	198	375	240
	योग	8425	5493	9455	7031	8367	5370	7623	4947	8132	5469

### शहरी एवं ग्रामीण मृत्यु पंजीकरण (गैर संस्थागत) वर्ष वार



### 8. विवाह पंजीकरण

वर्ष	शहरी	ग्रामीण
2020	3476	18367
2021	3524	18308
2022	3107	15810
2023	2714	13983
2024	2026	9912

### 8.2 शहरी क्षेत्र में विवाह पंजीकरण (ब्लॉक वार )

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	चौमू	467	434	364	346	223
2	सांभर	109	144	140	150	103
3	चाकसू	280	249	254	222	198
4	कोटपूतली	684	629	514	508	393
5	जोबनेर	71	62	57	84	32
6	फुलेरा	163	155	127	107	77
7	विराटनगर	140	137	132	83	90
8	शाहपुरा	215	223	203	183	139
9	रेनवाल	170	157	188	156	122
10	बगरु	122	119	106	98	63
11	पावटा	149	203	165	150	129
12	बस्सी	325	426	365	182	128
13	नरायना	65	80	60	63	36
14	मनोहरपुर	159	173	121	128	106
15	फागी	63	63	70	50	58
16	वाटिका	88	55	38	30	26
17	दूदू	59	64	80	76	43
18	जमवारामगढ़	147	151	123	98	60
योग		3476	3524	3107	2714	2026

### 8.3 ग्रामीण क्षेत्र में विवाह पंजीकरण (ब्लॉक वार )

क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	कोटपूतली	615	618	589	481	328
2	विराटनगर	1123	1048	867	813	593
3	शाहपुरा	1468	1397	1263	1190	857
4	गोविन्दगढ	2544	2165	1888	1585	1052
5	सांभर	717	695	573	532	411
6	दूद	135	148	163	151	101
7	फागी	161	196	209	194	156
8	सांगानेर	741	727	728	625	438
9	झोटवाडा	815	728	612	540	361
10	आमेर	960	1012	812	766	525
11	जमवा रामगढ़	998	1183	953	803	607
12	बस्सी	1099	1251	1002	861	693
13	चाकसू	528	578	509	482	419
14	पावटा	826	832	694	607	413
15	जालसू	1222	1125	916	811	524
16	तूंगा	552	666	581	532	394
17	कोटखवदा	516	698	558	489	325
18	माधोराजपुरा	310	336	338	378	220
19	मौजमाबाद	513	513	465	379	289
20	आँधी	799	848	761	605	433
21	किशनगढ रेनवाल	911	860	749	671	446
22	जोबनेर	814	684	580	488	327
योग		18367	18308	15810	13983	9912

## 9 बच्चे का नाम जोड़े (ऑनलाइन आवेदन)

### 9.1 शहरी क्षेत्र बच्चे का नाम जोड़े

क्र. सं.	शहरी क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	चौमू	121	450	494	458	708
2	सांभर	1	0	0	0	2
3	चाकसू	0	0	4	8	56
4	जोबनेर	0	6	8	3	4
5	फुलेरा	6	35	112	35	83
6	शाहपुरा	0	0	3	16	80
7	रेनवाल	0	18	22	123	192
8	बगरु	0	0	5	4	16
9	बस्सी	1	2	0	13	40
10	नरायना	0	0	0	1	1
11	मनोहरपुर	0	1	1	0	3
12	फागी	0	0	0	0	2
13	वाटिका	0	1	1	1	0
14	दुदू	0	0	0	1	0
15	जमवारामगढ़	0	1	2	0	1
16	कोटपूतली	0	0	33	171	407
17	विराटनगर	12	23	5	0	0
18	पावटा	1	2	24	17	8
	योग	142	539	714	851	1603

### 9.2 ग्रामीण क्षेत्र बच्चे का नाम जोड़े

क्र. सं.	ग्रामीण क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	कोटपूतली	0	0	0	0	0
2	विराटनगर	0	0	0	0	0
3	शाहपुरा	0	0	0	0	0
4	गोविन्दगढ	13	26	37	34	33
5	सांभर	0	0	0	0	0
6	दूद	0	0	0	1	0
7	फागी	0	0	0	0	0
8	सांगानेर	0	0	0	5	4
9	झोटवाडा	1	6	8	6	43
10	आमेर	4	8	21	10	56
11	जमवा रामगढ़	0	0	1	2	0
12	बस्सी	16	26	49	21	82
13	चाकसू	0	0	0	1	0
14	पावटा	0	0	0	0	0
15	जालसू	1	0	1	1	1
16	तूंगा	0	0	0	0	0
17	कोटखवदा	0	3	1	0	2
18	माधोराजपुरा	0	1	6	2	4
19	मौजमाबाद	0	0	0	2	0
20	आँधी	0	0	0	3	2
21	किशनगढ रेनवाल	1	3	10	4	4
22	जोबनेर	1	14	9	2	5
	योग	37	87	143	94	236

# 10. माता की आयु एवं जन्म क्रम के अनुसार जीवित जन्म

### 10.1 शहरी क्षेत्र

क्र. सं.	माता की आयु	2020	2021	2022	2023	2024
1	19 वर्ष से कम	1080	1257	1029	1186	1354
2	20-24	23801	23824	23818	22773	21307
3	25-29	13345	13571	13434	14327	15823
4	30-34	2183	2429	2800	3187	4378
5	35-39	363	405	462	504	690
6	40-44	63	65	53	68	100
7	45 एवं अधिक आयु	18	12	16	15	18
8	अवर्णित	19	15	7	4	1
9	योग	40872	41578	41619	42064	43671

### 10.2 ग्रामीण क्षेत्र

क्र. सं.	माता की आयु	2020	2021	2022	2023	2024
1	19वर्ष से कम	500	348	320	307	289
2	20-24	13453	9498	7043	6425	4153
3	25-29	7877	6192	5843	5240	4522
4	30-34	1217	1131	1071	1274	1299
5	35-39	236	213	218	236	258
6	40-44	24	32	27	35	36
7	45 एवं अधिक आयु	13	5	12	10	8
8	अवर्णित	10	7	6	2	1
9	योग	23330	17426	14540	13529	10566

# 11.आयु वर्ग के अनुसार पंजीकृत मृत्यु

### 11 .1 शहरी क्षेत्र

क्र.सं.	आयु वर्ग	जयपुर			
		2023		2024	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1 वर्ष से कम	71	1.89	79	1.78
2.	1-4 वर्ष	17	0.45	22	0.50
3.	5-9 वर्ष	21	0.56	16	0.36
4.	10-14 वर्ष	12	0.32	27	0.61
5.	15-19 वर्ष	34	0.91	45	1.01
6.	20-24 वर्ष	71	1.89	69	1.55
7.	25-29 वर्ष	81	2.16	97	2.18
8.	30-34 वर्ष	103	2.74	112	2.52
9.	35-39 <b>वर्ष</b>	133	3.54	149	3.36
10.	40-44 वर्ष	137	3.65	160	3.60
11.	45-49 वर्ष	137	3.65	160	3.60
12.	50-54 वर्ष	239	6.36	417	9.39
13.	55-59 <b>वर्ष</b>	383	10.20	374	8.42
14.	60-64 वर्ष	447	11.90	469	10.56
15.	65-69 वर्ष	404	10.76	439	9.89
16.	70 व अधिक	1465	39.01	1805	40.65
	योग		100.00	4440	100.00

### 11.2 ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	आयु वर्ग	जयपुर			
		2023		2024	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1 वर्ष से कम	17	0.12	63	0.38
2.	1-4 वर्ष	32	0.22	40	0.24
3.	5-9 वर्ष	42	0.29	29	0.18
4.	10-14 वर्ष	53	0.36	68	0.41
5.	15-19 <b>वर्ष</b>	163	1.11	187	1.13
6.	20-24 वर्ष	233	1.58	254	1.53
7.	25-29 <b>वर्ष</b>	303	2.06	316	1.91
8.	30-34 वर्ष	342	2.32	397	2.40
9.	35-39 <b>वर्ष</b>	421	2.86	535	3.23
10.	40-44 वर्ष	493	3.35	567	3.43
11.	45-49 वर्ष	493	3.35	567	3.43
12.	50-54 वर्ष	764	5.19	896	5.41
13.	55-59 <b>वर्ष</b>	982	6.67	1059	6.40
14.	60-64 वर्ष	1367	9.29	1516	9.16
15.	65-69 वर्ष	1639	11.14	1797	10.86
16.	70 व अधिक	7369	50.08	8260	49.91
योग		14713	100.00	16551	100.00

### 12. पहचान हेल्पडेस्क नम्बर

	ر ا	अधिकारी का गाउ	<del></del>	
क्र.सं.	जिला/ब्लॉक का नाम	अधिकारी का नाम	मोबाइल नंबर	दूरभाष नंबर
1	कार्यालय संयुक्त निदेशक	श्री बाबूलाल मीना	9414191714	01412203672
2	कार्यालय संयुक्त निदेशक	डॉ सुदीप कुमावत	9928232310	01412203672
3	कार्यालय संयुक्त निदेशक	श्री प्रमोद गुप्ता	9828826555	01412203672
4	कार्यालय संयुक्त निदेशक	सुश्री ममता खत्री	8005963908	01412203672
5	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, आमेर	सुश्री दीपेश कंवर	9414391551	01412530893
6	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सांगानेर	श्री मुकेश चन्द जोशी	9460376386	01412733000
7	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय झोटवाड़ा	श्री हनुमान सिंह जाट	9462213889	01412341812
8	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, सांभर	श्री विपिन बिहारी शर्मा	9530368713	01425229565
9	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, कि. रेनवाल	श्रीमती किरण यादव	6376525258	-
10	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, जोबनेर	श्री सुनील कुमार पारीक	9414774060	-
11	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, जालसू	सुश्री दिव्या शर्मा	9413616669	-
12	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, गोविन्दगढ़	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान	9829181562	01423230027
13	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, शाहपुरा	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	9782132890	01422272311
14	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, जमवारामगढ़	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	9875181836	-
15	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, आंधी	श्री रंग लाल मीणा	9057744028	-
16	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, बस्सी	श्री राजबिहारी मौर्य	9723904564	-
17	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, तुंगा	श्री गोविन्द नारायण जग्रवाल	9829218310	-
18	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, चाकसू	श्री राजकुमार महेन्द्रा	9414337331	01429243966
19	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, कोटखावदा	श्रीमती खुशबू चौधरी	8742844134	-
20	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, फागी	श्री दिलीप रेसवाल	9460192428	01430294038
21	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, माधोराजपुरा	श्रीमती मंजू शर्मा	9664417559	-
22	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, दूदू	श्री राकेश शर्मा	8946820087	01428277277
23	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, मौजमाबाद	श्री अशोक गोल्या	7073729940	-

### 13. जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण कार्यालयो का निरिक्षण

फागी ब्लॉक का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

#### सहायक निदेशक ने किया निरीक्षण

#### सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ देने के निर्देश



जालसू, पंचायत समिति में निरीक्षण के दौरा एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक।

जालस्, यहां पंचायत समिति में समाधान हेल्प डेस्क से तृतं करना जयपुर कलक्ट्रेट के आर्थिक एवं चाहिए। जन्म मृत्यु व विवाह साहित्यको विभाग के सावयक पंजीयन के निर्धाति अवधि में निर्देशक डॉ.सूचेण कुमावान ने प्रभागप जाती करवाई महित्यक डॉ.सूचेण कुमावान ने प्रभागप जाती करवाई महित्यक विश्वास मंत्रालवार को औपक निर्देशक कर पीएनसी च निजी हास्पिटल में विभागिय गिर्विधियों की जानकारी डिस्साओं के साव ही जन्म प्रणाम तो मावायक निर्देशक कमावान में पड़ जाती करने के निर्देश विराह विभागीय गतिविधियों को जानकारी हिस्साज के साथ ही जन्म प्रणाम हो। बतायक निरंतक कुमाबता ने पत्र आठी करने के निर्देश हिए। बताया कि जन्म-भूष्ण पूर्व विवाद करने बताया कि जन्म-भूष्ण प्रजीवार, जन आधार योजना, पंजीवार व जन आधार योजना अपन्य प्रतीवार, जन आधार योजना, पंजीवार व जन आधार अधार-प्रशास के अधार-प्रशास के साथ गार्टरी संस्था आधार, मुख्यमंत्री हुँ मार अधिनयम ने शामिल है। उन्होंने पंरोधाना, आधिक एक्पा, धार्मिक के श्रीस्थानी दिया गार्था व है फिर अधीयोंक सर्वेशक आदि विभागीय स्थापक के हैं-सित्र एक्स सर्वाता ने मित्री विधा वाप के स्थापन करने स्थापन करने स्थापन करने स्थापन करने स्थापन करने स्थापन करने स्थापन है स्थापन करने स्थापन करने स्थापन करने स्थापन के निरंत विधा करने कहा कि विधाय तेला के स्थापन करने स्थापन के निरंत विधा करने स्थापन के निरंत विधा के स्थापन करने स्थापन के निरंत विधा करने स्थापन के निरंत विधा करने स्थापन के निरंत विधा करने स्थापन करने स्थापन के निरंत विधा करने स्थापन के स्थापन के स्थापन करने स्थापन के स्य

# सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण

ब्लॉक फागी का जयपुर कलेक्ट्रेट के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत ने पंचायत समिति परिसर स्थित आर्थिक एवं सांख्यिकी

बठक करा गई। औचक निरीक्षण के दौरान जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, जन आधार, आय-व्यय लेखों का वर्गीकरण, संस्था आधार, मुख्य मंत्री ई ग्राम परियोजना आदि विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही उन्होंने सीएचसी, पीएचसी व निजी हॉस्पिटल मे होने वाले संस्थागत प्रसव के मामले मे जच्चा-बच्चा के डिस्चार्ज के साथ जन्म प्रणाम पत्र जारी करने के निर्देश दिए। सामान्य प्रकरण मे आमजन द्वारा आवेदन करने की तिथि से सात दिवस के अंदर जन्म-मृत्यु व विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए। सहायक निदेशक डॉ. कुमावत ने बताया की राज्य सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीयन, ज्न आधार पंजीयन व संस्था आधार को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवा में शामिल कर रखा है,ऐसे में इसकी राज्य वादा स्वत न रामित्व कर रखा हुएस में इसकी राज्य स्तर व जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। सहायक निरंशक कुमावत ने जन आधार योजना, मुख्यमंत्री ई-ग्राम योजना के तहत भौतिक परिसंपत्तियों के सत्यापन व ई-मित्र प्लस मशीन के बारे में भी जानकारी

विभाग कार्यालय पर औचक निरीक्षण कर एक समीक्षा



ली। बीएसओ व ई मित्र संचालक को ई-मित्र प्लस मशीन का उपयोग बढ़ाने व आमजन में जागरूकता लाने हेतु निर्देशित किया तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने हेतु साइन बोर्ड लगवाने, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन समय पर जारी करने, प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में सहायक निदेशक ने कहा की जन आधार कार्ड में होने वाली ान्दराल ने नका वर्ष जा जावाद सक्तर के फान बदा। समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक जन आधाद सहास्वात केंद्र स्थापित किये गए हैं,आनकन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलाना चाहिए। हिस्प डेस्क पर सम्पर्क रक्षा आमाना जन आधाद काई को दुस्सत करवा सकते हैं। जिससे स्वास्थ्य बीमा योजना व अन्य योजनाओं का लाभ लेने में बामा पाजा व जन्य बाजाजा का ताम तान स जामजन को परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस अवसर पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रमीद गुप्ता, सांख्यिकी निरीक्षक गजानंद चौधरी, मंजू शर्मा व कनिष्ठ सहायक कृष्ण शर्मा आदि उपस्थित रहे।

#### आमजन को समय पर जारी करें प्रमाण पत्र : डॉ. सदीप



जालसू | निरीक्षण में प्रमाण पत्रों की जानकारी लेते हुए।

पंचायत समिति की खानीपुरा व राज्यांकशनपुरा ग्राम पंचायत का राष्ट्रकार को जयपुर कलोक्ट्रेट के आर्थिक एवं सार्थिककी विश्वान के साराक्क निरोशक की. सुदीप कुमाबत ने औषक निरोशण कर जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीवन की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आमजन ह्यार आर्थेटन करने की तिथि से सात दिवस के अंदर जन्म-मृत्यु व विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिश्शास्त्रक निदेशक ही. कुमाबत ने बताया कि राज्य सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीवन की राजस्थान लीक सेवा गारंटी अर्थिनथम के तहत दी जाने वाली सेवा में शामिल कर रखा है। ऐसे में इसकी मुख्य स्थिव की ओर से निवसित समीक्षा की जा रही है। कुमाबत ने जन आधार योजन, मुख्यमंत्री ई-ग्राम योजना के तहत वी पंचायत समिति की खन्नीपरा व

जानकारी ली। ग्राम विकास अधिकारी व ई मित्र संचालक को ई-मित्र प्लस मशीन का उपयोग बढ़ाने व आम्जन में जागरूकता कोई भी समस्या आ रही है तो स्वांक्य जा आधार सहस्यता केंद्र पर सम्प्रकी कर उनके भी जन आधार का का इंद्र इस सम्प्रकी कर उनके भी जन आधार का इंद्र इस स्वास्थ्य बीमा योजना व अन्य योजनाओं का लाभ लेने में आमञ्ज को परेशानी नहीं उठानी एहै। इस अकसर पर ग्राम विकास अधिकारी खळीपूरा रमेश कुमार पूर्वर, राधाकिशनपुरा अनिल कुमार स्वामी, कनिक्ट सहायक, ई मित्र संचालक आधिकारी खळीपूरा हो।

#### आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक ने किया निरीक्षण

#### सात दिवस में जन्म-मृत्यु व विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश





#### योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश

#### ग्राम पंचायत अनंतपुरा व जैतपुरा का सहायक निदेशक ने किया निरीक्षण



#### जच्चा-बच्चा के डिस्चार्ज के साथ ही मिले जन्म प्रमाण पत्र : डॉ. सुदीप कुमावत



#### सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक ने किया निरीक्षण जच्चा-बच्चा के डिस्चार्ज के साथ ही मिले जन्म प्रमाण पत्र

#### ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय का किया निरीक्षण

#### तय सीमा में जारी हों जन्म-मृत्यू प्रमाण पत्र



कारणे प्राथम पंचायन सर्वाध के कारण कर कर के प्राथम के प्रायम के प्रायम के प्रायम के प्रायम के प्राथम के प्रायम के प

#### आमजन तक पहुँचे सरकारी नियमों की जानकारी: डॉ. सुदीप कुमावत



चीम्/जयम् (सूरील कुमार फारारा)। स्टीम मंदिराची मार्चलम्, राजम् चा जगुर बलाहेर के

#### निरीक्षण • मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण आदि विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली

### आमजन को मिले सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ: डॉ. सुदीप

महरूर क्वां अरुप जसप् पंचना संस्थी में संस्थित वर्षक संस्थित में संस्थित वर्षक संस्थित में संस्थित वर्षक संस्थित में संस्थित संस्था संस्था में स्थान संस्था में संस्थित संस्था में स्थान संस्था में स्था मां स्था में स्था मे स्था में स

## 14. जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यशालाओ का आयोजन



### 15 . जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण के अधिनियमों का प्रचार-प्रसार

गोविंदगढ में आयोजित कार्याशाला में संयक्त निदेशक ने दिए संकेत

## सात दिन में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर लगेगा **जुर्माना**



पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com

गोविंदगढ़. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी पर प्रशासन सख्ती बरतेगा। यदि सात दिन में प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो संबंधित सरकारी संस्थान के अधिकारी के खिलाफ जुर्माना किया

इस अवधि में प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर 250 रुपए और जानकारी नहीं देने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। इस बात

अब प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद रजिस्टार की ओर से सात दिवस में प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। जबकि जन्म-मृत्यु की घटना के घटित होने की सूचना सूचनादाता की ओर से देना भी आवश्यक होगी। सात दिवस में रजिस्टार व उप रजिस्टार द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं

के संकेत शुक्रवार को गोविंदगढ़ समिति सभागार आयोजित जन्म-मृत्यु व विवाह करने पर 250 रुपए का जुर्माना व संस्था की ओर से जन्म व मृत्यु की जानकारी नहीं देने पर 1 हजार का रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया है। रजिस्ट्रार निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है तो आमजन जिला रजिस्ट्रार व मुख्य रजिस्टार को अपील कर सकता है।

पंजीयन पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन में संयुक्त निदेशक सांख्यिकी हीरालाल जाटव व

#### लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल

सहायक निदेशक डॉ.कुमावत ने बताया की राज्य सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीयन राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवा में शामिल किया है। ऐसे में इसकी मुख्य सचिव की ओर से नियमित समीक्षा की जा रही है।

सहायक निदेशक जिला कलक्ट्रेट डॉ.सुदीप कुमावत ने दिए है। कार्यशाला में पंचायत समिति क्षेत्र

इस दौरान विवाह पंजीकरण में रजिस्टार के सामने आने वाली सभी .. समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर बीएसओ कैलाश यादव सहाराक सांख्यिकी अधिकारी

रविप्रकाश पारीक भी उपस्थिति रहे।

के अधीन आने वाले रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार ने हिस्सा लिया। संयुक्त निदेशक सांख्यिकी जाटव ने कहा कि सभी रजिस्ट्रार को सरकार की ओर से निर्धारित समय अवधि में आमजन को प्रमाण पत्र जारी करना

जिससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सके। सहायक निदेशक जिला कलक्ट्रेट डॉ.कुमावत ने बताया कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी को रजिस्ट्रार व सीएचसी, पीएचसी में उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

#### राजस्थान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में नवीनतम संशोधनों से आमजन को मिलेगी राहत

जयपुर, मि.सं.। राजस्थान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विनयम में संशोधन के बाद अधिनियम में संशोधन के बाद जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात । वर्ष के भीतर की प्रदल्जा हेतु जारी की जाने वाली अनुझा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक अप्तालकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी ध्राविंक एवं सांक्रियकी विभाग के सहायक

नदीलतम को मजबूत नदीनतम संशोधन के तरत वर्तमान में जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 विवस पक्षात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपये विलम्ब शुक्क देय है।

पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती हैं तो 50 रुपये एवं घटना की सूवना 1 वर्ष पश्चात दिए जाले पर 100 रुपये वित्तन्म शुरूक देय होगा। उन्होंने बताया कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग विकित्सा

संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस सें अधिक विनम्ब किये जाने पर अधिक विश्वस्य किये जांचे यह अववा यूवना तस्त्रय पर वह देन पर पूर्व में 50 5प्रयों की पेत्रव्ही का प्रावधान वा वित्ते अधिकतम एक हजार उपयों दा की पित्रव्ही का प्रावधान किया जया है। काल-मृत्यु के वित्तिमित रिजेर्स्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन के प्रावधान किया आया है। काल-मृत्यु के वित्तिमित रिजेर्स्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन के प्राया किया आया है। व्यक्ति प्रावधान किया जया है। विदे प्रधान मिक्टर किया

गजट नोटिफिकेशन जारी : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के नियमों में संशोधन

#### चिकित्सा संस्थानों ने देरी से दी सचना तो लगेगी एक हजार तक पेनल्टी



क्रियों का अंदिर करण करियों कर का अंदिर करण करियों करियों कर करियों करिय

21 दिवस में देनी होगी सूचना

सूत्रों ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस सें अधिक दिलम्ब किए पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटेरी सत्यापन को समाप्त किया है। अपील का प्रावधान राजस्ट्रीकरण में नोटरी सलामक के समाप्त किया है। अभील का प्रावधान किया है। यदि प्रावधी रिजस्ट्रार, जिला रिजस्ट्रार से संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च स्तर पर अभील कर सकता है।

में 21 दिना से अधिक विलग्ध किए जाने पर अवसा वृत्ता समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रूपर वी निरुद्धी का प्राथम मा प्राथम स्वारा किया है। आपील का प्राथम स्वारावर अब 250 रूपर वो जीवितमा पर कर कार रूपर की जिस में एक प्राथम स्वारा स्वार

**डॉ. सुदीप कुमावत,** सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।

विलम्ब शुल्क देव हैं। संशोधन (नियम) में यदि घटना की सूचना 21 दिवस बाद लेकिन 30 दिवस में रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 20 रुपए विलम्ब शुल्क देना होगा। यदि घटना

की सूचना 30 दिवस बाद लेकिन वर्ष में दी जाती हैं तो 50 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष बाद दिए जाने पर 100 रुपए विलम्ब शुल्क देय होगा।

#### सात दिवस में जारी करें जन्म मृत्यु प्रणाम पत्र अन्यथा दंड का प्रावधान : डॉ. सुर्दीप कुमावत

भास्कर न्यूज | जालसू

भारवर-चूज जालस्
करने दियत पंचायत सर्मित
स्मारात सं संमायत को जम्म-मुख्
व विवाह पंजीयन पर कम्प्रंगाला का
आयोजन हुआ। कर्म्याला का
पायात संमिति क्षेत्र के अभीन आने
वाले पंजिस्ट्रार व उप पंजिस्ट्रार ने
माग दिलावा सहायक निरस्क्र,
ऑिक्स एवं सांख्यिकती, डॉ. सुदीप
कृमावत ने कहा की सभी पंजिस्ट्रार
को सस्कार ह्वारा निश्चारित समय
अविध मे आमजन को प्रमाण पत्र
जार्थि करना चाहिए। जिससे
आमजन को किसी प्रकार की
परिशानी नहीं हो साहायक निदेशक
डॉ. कुमावत ने बतावा की सरकार
डारा जन्म- मुख्य पंजीवरण
अधिनियम 1969 में संशोधन कर
अक्ट्राय उन्म- मुख्य पंजीवरण
अधिनयम 1969 में संशोधन कर
अक्ट्राय जन्म- मुख्य पंजीवरण
अधिनयम 1969 को सहसार नियान
ना कर आमजन को राहत प्रयान
नी गई है। अब प्रमाण पत्र के लिए

न: डॉ. सुदीप कुमायत आवेदन करने के बाद र्यंक्ट्स इय उसे सात दिवस में जारी करना आवरषक है। जबकि कन्म- मृत्यु की घटना के घटित होने की स्वप्त-प्रकारता इयर देन आवरपक होगी।जन्म मृत्यु अधिनयम 1969 में बदलाव कर 1 अब्दुबर 2023 से नया नियम बनाया है। जिसके कत सात दिवस में र्पंकरसूर व उप रंजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर 250 रुपए का जुर्माना व संस्था द्वारा जन्म व मृत्यु की जानकारी नहीं देने पर एक इजार का रुपए का जुर्माने का प्रवासा किस्मा गया है। इस दौरान सहायक सार्धिककी अधिकारी, प्रमोद कुमार गुप्ता, बीएसओ दिव्या रार्मा, सार्धिककी निरोक्ष ममता चौधरी, संगणक सुमन कुमावत, अदिवेदत प्रशासनिक अधिकारी विजेद्र राद्मागी सिंहर अन्य कर्मचारी वर्षरिकारिक।

#### जालसू में रजिस्ट्रारों की बैठक आयोजित

### 'जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी बर्दाश्त नहीं'





सीएचसी, पीएचसी को उप रजिस्ट्रार बताया कि जन्म-मृत्यु अधिनियम नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया 1969 में बदलाब कर । अक्टूबर

याद कोई राजस्ट्रार निश्वारत अविध में प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है, तो आमजन जिला रजिस्ट्रार व मुख्य रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है। (नि.स.)

लोक सेवा गारंटी

सहायक निदेशक डॉ. कुमावत ने बताया कि जन्म मृत्यु अधिनियम साराक निरंवण ही, कुमारा ने साराव कि जम्म मृत्यु अधिनया । 1969 में संशोधन स्थान कि कार साराव कि जम्म मृत्यु अधिनया । 1969 में संशोधन स्थान के कार सारावार ने जम्म मृत्यु अधिनया ने प्राचित्र करने के कार सारावार ने जम्म मृत्यु अधिनया में दी जाने वाली सोव में सामित किया है। इस वारेगा सारावार सामिता की है। इस वारेगा सारावार सामिता की इस वारेगा सारावार सामिता की अधिकारी, पामी द कुमार पूर्वा, जाएक सामावार की पर सिक्त करने प्रवस्त करने सामावार की प्रविकार में प्रवस्त करने सामावार की प्रवस्त करने प्रवस्त करने सामावार की BREAKING NEWS सच Date: 18/02/2025

ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन बाद लेकिन 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन बाद लेकिन 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी करेंगे, जन्म-मृत्यू प्रमाण पत्र के लिए अब नोटरी सत्यापन की अनिवार्यता समापत, 21 दिन बाद सूचना देने पर विलंब शुल्क बढ़ाया गया, अब अधिकतम 100 रुपए देव, विकित्सा संस्थानों के लिए दिलंब शुल्क बढ़कर 250 से 1000 रुपए तक किया गया, 30 दिन के बाद 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर अपूमोदन अनिवार्य, 21 से 30 दिन के भीतर सूचना देने पर अब 20 रुपए विलंब शुल्क देना होगा, जन्म-मृत्यू प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी तेज, आमजन को राहत, जन्म-मृत्यू पंजीकरण अधिनियम संशोधन 2025 विधानसभा में रखा गया, असंतोध की स्थिति में उच्च स्तर पर अपील का प्रावधान किया गया, 100% जन्म-मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन

Jaipur: राजस्थान में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नियमों में बड़ा बदलाव

TATA PLAY 1186 ∂ airtel | ogtary |

0000 Sach Bedhadak

गजट नोटिफिकेशन जारी: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के नियमों में संशोधन

#### चिकित्सा संस्थानों ने देरी से दी सचना तो लगेगी एक हजार तक पेनल्टी

**चौम्**, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (संजोधित) 2023 आधानवम १७०७ (संशाधत) 2023 के क्रम में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (संशोधित) 2025 अधिसूचना का बढाकर अब 250 रुपए एवं इसके संशोधन से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में न सिर्फ आसानी पत्र प्राप्त करने में न सिफ आसानी रहेगी, बल्कि पिकिस्सा संस्थानों द्वारा तय अवधि के बाद सूचना देने पर एक हजार रुपए तक को पेनल्टी लग सकती हैं।सूत्रों के अनुसार जन्म और मृखु की 30 दिवस के बाद। वर्ष के भीतर की घटना के हिन्सु जारी की

पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटेरी सत्यापन को सुत्रों ने बताया कि चिकित्सा सूत्रा न बताया कि ायकत्सा संस्थानों द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस सें अधिक विलम्ब किए जाने पर अथवा सूधना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान था, जिसे समाप्त किया है। अपील का प्रावधान किया है। यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार से संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च स्तर पर अपील कर सकता

21 दिवस में देनी होगी सूचना

ब्बाकर अब 250 रुपए एवं अधिकराम एक हजार रुपर की जिन मुन्त अधिकराम पर हजार रुपर की जन्म मृत्यु अधिनियम में संशोधन लागू होने से प्रमाण एव निर्धारित जन्म मृत्यु की टब्पजों का प्रजीयन होगा और अर्जीक चारिकारी कार्यांत्रमाँ को मज्जूती मिसेगी।

डॉ. सुदीप कुमावत, सहायक निदेशक, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग

भीतर की राज्या के लिए जाति की कान माली अन्तुता अन्योग को में मिलाव्य जुन्क देश हैं। संशोधन की सुस्ता 30 दिसम बाद लेकिन कां सर्वक साजिवकी अधिकारी डांग (नियम) में मेंदि घटना की सुन्ता 21 में दी जाती है तो 50 रुपए विलम्ब जाती की जाती। बोतामा में क्या पिता 20 दिसम में जुद्धा तर देश तोगा तथा घटना की पूर्व की घटना की सुन्ता 21 दिसम पीजिंदर पार्च वे जाती है ती 20 रुपए सुन्ता। वर्ष बाद दिखा जाने पर 10 के बाद रिकारटर को देने पर 1 रुपए विलम्ब शुल्क देश होगा। मंदि पटना रुपए विलम्ब शुल्क देश होगा।

17-02-2025

<sup>ट</sup>ा राजस्थान

1177 336 727 785 331 333 843

#### जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नियमों में संशोधन से मिलेगी राहत

जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के बाद 1 वर्ष के भीतर की घटना के लिए अनुज्ञा, ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी कर सकेंगे अनुज्ञा, आर्थिक-सांख्यिकी विभाग सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में किये गए संशोधन, अब संसोधन के बाद प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में जारी होंगे

#### BREAKING NEWS

संशोधन | ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी भी जारी कर सकेंगे प्रमाण पत्र

### जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियम बदले अब समय पर मिल सकेंगे प्रमाण पञ

अंत्र प्रकार नार्षिय | जव्युः
राज्य की भज़न लाल सरकार ने जन्म और मृत्यु के
विन्युरेशन की मराल बनाने के लिए जन्म और मृत्यु
राजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन किया है। इससे
आमजन को अब जन और मृत्यु का प्रमाण पत्र समय
पर मिलने की सुविक्शा मिलेगी। अब प्रामीण क्षेत्रों में
ब्लांक सांडिकराली अधिकारी जन्म और मृत्यु की 30
दिनों के बाद, लेकिन एक वर्ष के भीतर दर्ज होने वालों
पदनाओं के लिए अनुता (पर्तमारन) जारी कर सकेंगे।
यर, संशोधन के तक्षत अब जन्म या मृत्यु की युवना देर
देने पर शुव्युक्त की दरों में भी बदलाव किया गया है।
राजस्थान जन्म मृत्यु राजस्टीकरण अधिनित्सम संशोधन के बाद जन्म और मृत्यु की युवसा देर
संशोधन के बाद जन्म और मृत्यु की युवसा के लिए जाती
की जानी वाली अनुता प्रमाण के में बलीक सांडिकरकी
अधिकारी की और से जारी की आएगी। जन्म-मृत्यु
राजस्वान पर समाच पर जारी हो स्वेदर्ग, जिससे लोगे
सांस्वानी संशोधन लागु होने के बाद अब जनममृत्यु प्रमाण पत्र समाच पर जारी हो स्वेदर्ग, जिससे लोगे
सांस्वानी संगानित की भी स्वेदर्ग के लिए जारी
सांस्वानी पंजीयन हो सकेंगा और ब्लॉक सांडिकरकी
व्याना में सहायक निरंपक हो सुविध कुमावत के
अनुसार जन्म-मृत्यु राजस्टीकरण आधिनियम 1960
(संशोधित 2023) के तहत संशोधित आधित विवस्त में प्रकारम-मृत्यु राजस्टीकरण जारीवियम पंजासम्बाद प्रावस्त्य प्रावस्त्य में प्रकार मुन्तु स्वित्सी प्रावस्य प्रावस्त्य के स्वान्य का मुन्तु स्वित्सी प्रावस्त्य आधितिया
राजस्वान पंजायन मुन्तु रिकरियोग आधित एवं सांडिकरकी
विवस्त में मन्त्राम निरंपक हा सुवसीय कुमावत के
अनुसार जन्म-मृत्यु राजस्टीकरण आधित्यम 1960
(संशोधित 2023) के तहत संशोधित आधितम्म प्रावस्त के

अब कितना देना होगा विलंब शुल्क



#### जानें क्या-क्या हुए बदलाव

\* 21 विनों के बाद, लेकिन 30 दिनों के जीतर सूधना केंगे पर 20 रुपये किरोब हुल्छा • 30 दिनों के बाद, लेकिन एक वार्य के जीतर सूधना केंगे पर 50 रुपये दिलोब हुल्छा • एक वार्य के बाद सूधना केंगे पर 34 100 रुपये किरोब हुल्छा • स्विकार राजिस्ट्री कराने केंगे पर अब 100 रुपये किरोब हुल्छा • सेविकारस संस्थानों की और से 21 विनों से अधिक दिलंब करने या समय पर सूधना न

### <sub>राजस्थान सरकार</sub> आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

### प्रपत्र संख्या 1 (जन्म रिपोर्ट)



	(1नयम 5 दाखए)		
(	अनुदेशों के लिये नीचे देख	Ĭ I)	
रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार	-	पंजीयन का रेफरेन्स नम	R
नगर निगम / नगर निकाय / ग्राम पंचायत		(पहचान वेबपोर्टल से सुजित	1)
जहां घटना घटित हुई ही)			
सूचनादाता द्वारा मरा जाना है)			
जन्म तारीख	D D M M	YYYY	
(शिशु के जन्म की वास्तविक तारीख माह और वर्ष लिन	वेद्या जैसे ०१ ०१ २०२३)		
2. लिंगः (४ का निशान लगायें)	पुरुष	स्त्री ट्रान्सजे	EXY
<ol> <li>शिशु का विवरण : (यदि नाम नहीं रखा गया हो तो रिः</li> </ol>		(All J gr.ti-s	
<ul><li>(क) नामः (हिन्दी में) (यदि कोई हो)</li></ul>	प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में (If any)	First Name	Middle Name	Last Name
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)			
. पिता का विवरण :			
(क) पिता का नाम (हिन्दी में)	प्रथम नाम	मध्यम् नाम	अंतिम नाम
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में	First Name	Middle Name	Last Name
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)			
(ग) मोबाइल नम्बर			4
(u) ई—中ल			_
5. माता का विवरणः (क) कार्या का किसी के	प्रथम नाम	महाम नाम	अतिम नाम
(क) माता का नाम (हिन्दी में)	First Name	Middle Name	Last Name
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में	Tank Name	THE PARTY OF THE P	Last Hallie
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)			
<ul><li>(ग) परिवार का जन आधार कार्ड संख्या : (यदि उपलब्ध हो)</li></ul>			
(घ) मोबाइल नम्बर			_
(8) ई-मेल			
. बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता	मकान संख्या	मोहल्ला	
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो)	शहर/गाँव	ਚप जिला / तहसील	जिला
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पिन कोडः		
. माता-पिता का रथाई पता : (हिन्दी में)	मकान संख्या	मोहरला	
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो)	शहर / गाँव	उप जिला / तहसील	जिला
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	िपन कोडः		
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में	House No.	Locality	
Ward No. (In case of town & if available)To	wn/Village	Sub-district/Tehsil	District
State/Union Territory	PIN Code:		
<ol> <li>जन्म स्थान (उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 या 3 पर   र का निशान लगाये</li> </ol>	और गीचे अस्पताल / संस्था का न	म और पता या घर या अन्य स्थान का प	ता जहां बच्चे का जन्म हुआ है लि
1. अस्पताल / संस्था का नाम एवं पता			
2. घर 3. अन्य स्थान (पता) :	मकान संख्या	मोहल्ला	
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो)	शहर/गाँव	उप जिला/तहसील	जिला
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पिन कोडः		
. सूचनादाता का विवरणः			
(क) नाम	प्रथम नाम	मध्यम नाम	अतिम नाम
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)			
(ग) मोबाइल नम्बर			
(घ) ई—मेल			
(ह) पताः	मकान संख्या	मोहल्ला	
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो)	शहर/गाँव	उप जिला/तहसील	िजला
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पिन कोठः		
<ol> <li>माता का निवास स्थान शहर एवं गाँव : (स्थान जहां प्रायः ।</li> </ol>		जहां शिशु का जन्म हुआ है से अल	ग हो सकता है। उपयुक्त प्रवि
पर ✓ का निशान लगायें और 'शहर' या 'गाँव' का नाम लि			
	ाला / तहसील	जिला	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	पिन कोडः		
	-		
***************************************			
पुष्प गंग्या (	पूर्ण करने के लिए अनुदे	श : जन्म रिपोर्ट	
	F. her hund and	M This	
द सं. अनुदेश			
दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि—मामा—वववव र अंकों में वर्ष लिखा जायेगा। जहां कहीं भी दिनांक र			
अका म वष (लखा जायगा। जहां कहा मा दिनाक र जायगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियां भरने हे			
	-	1, 2, 3, 4, 3, 0, 1, 0, 3 411 344141	edi aldali i
"पुरूष" या "स्री" या "उभयतिंगी" (ट्रांसजेण्डर) ✔	का ।नशान लगाय ।		

11. धमः।	उचित धर्म दर्ज करें हिन्दु या मुस्लिम य	। इसाई था।साख था बाब्र था जान थ	in a (hadi i ilde ast))	
1919	पिता का धर्म:		_ (ख) माता का धर्म:	
	का शैक्षणिक स्तरः		13. माता का शैक्षणिक स्तरः	
	का व्यवसायः		15. माता का व्यवसायः	A
	ह के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) (		। है तो प्रथम विवाह के समय व	ही आयु प्रविष्ट की जाये):
	शेशु के जन्म के समय माता की आयु (पृ		V	244.00
	शेशु को सम्मिलित करते हुए माता के जीरि			ख्या, याद काइ हा, साम्मालत कराः
	के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या			-4
		स्थागत-निजी या गैर सरकारी	(3) डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित	qış
	रम्परागत जन्म परिचायक (5) संव पद्धतिः (निम्न प्रविष्टियों में से समुचित	वंधी या अन्य द्वारा		
		वर <b>२</b> का गिसान लगाय). जेस्सेप / वैक्यूम		
	के समय शिशु का भार (कि.ग्रा. / ग्राम व			
	तस्था की अवधि (सप्ताहों में):	//		
		घोषणा		
	हमति देता हूँ / देती हूँ । (सभी कॉलम	रने के लिए आधार विसीय और 1 से 22 तक पूरा करने के बाद,	सूचनादाता हस्ताक्षर मय तार्र	मेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 राज करेगा) के हस्ताक्षर/अंगुटा निशानी (बार्च हाथ का)
		500000 <b>(\$</b> 0000 green en		
		कार्यालय उपर	भेग हेतु	
		(रजिस्ट्रार द्वारा म	रा जाना है)	
रजिस्ट्रीक	ण संख्या	(रजिस्ट्रार द्वारा म	रा जाना है)	
रजिस्ट्रीक	ण की तारीख D D M	(रजिस्ट्रार द्वारा म	रा जाना है)	
	ण की तारीख D D M		रा जाना है)	
रजिस्ट्रीक	ण की तारीख D D M		रा जाना है)	कोड नम्बर
रजिस्ट्रीक	ण की तारीख D D M	M Y Y Y Y	]	कोड नम्बर
जिस्ट्रीक	ण की तारीख DD M	M Y Y Y Y	रा जाना है)	कोंड नम्बर
जिस्ट्रीक	ण की तारीख <u>D D M</u> ण इकाई जिला	M Y Y Y Y	रा जाना है)	कोड नम्बर
रजिस्ट्रीक	ण की तारीख D D M ण इकाई	M Y Y Y Y	रा जाना है)	कोड नम्बर
रजिस्ट्रीकः रजिस्ट्रीकः जन्म की र	ण की तारीख	M Y Y Y Y M	रा जाना है)	कोड नम्बर
रजिस्ट्रीक रजिस्ट्रीक जन्म की र लिंगः	प्य की तारीख D D M M प इकाई	M Y Y Y Y M	३ अन्य स्थान	कोड नम्बर
रजिस्ट्रीक रजिस्ट्रीक जन्म की र लिंगः जन्म का र	ण वी तारीख D D M M ण इकाई	M		कोड नम्बर
रजिस्ट्रीक रजिस्ट्रीक जन्म की र लिंगः जन्म का र	ण की तारीख D D M  प इकाई	M		कोड नम्बर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक जन्म की र लिंगः जन्म का र	ण वी तारीख D D M M ण इकाई	M		कोड नम्बर
रजिस्ट्रीक रजिस्ट्रीक जन्म की र लिंगः जन्म का र	ण वी तारीख D D M M ण इकाई	M	3. अन्य स्थान	
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M	3. अध्य स्थान	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M	3 अन्य स्थान परि	
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M	3 अन्य स्थान परि	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M	3. अन्य स्थान परि मरे और ऊपर बॉक्स में टिण हो. तिस्रों)	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M Y Y Y Y  नाम  M Y Y Y Y Y  रर  2. घर  थेक बच्चे के लिए एक अलग चाँगी आदि जैसा समस्त	3. अन्य स्थान चरि मरें और उत्पर बीवल में टिण हो, तिब्बें) , तत प्रतिकृत पंजीकरण	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M Y Y Y Y नाम  जाम  जा Y Y Y Y Y  रर  2. घर  विक बच्चे के लिए एक अलग चीर्म आदि जीला समलत हमात लक्ष्य - जन्म हो में 1800-	3. अन्य स्थान परें और उत्पर बॉक्स में टिण हो. सिंखें) , सत प्रतिकत पंजीकरण 180-6785 फ/.n.pekchan.raj@gov.in	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का व टिप्पणी (व	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M Y Y Y Y  नाम  M Y Y Y Y Y  रर  2. घर  थेक बच्चे के लिए एक अलग चाँगी आदि जैसा समस्त	3. अन्य स्थान परें और उत्पर बॉक्स में टिण हो. सिंखें) , सत प्रतिकत पंजीकरण 180-6785 फ/.n.pekchan.raj@gov.in	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का व टिप्पणी (व	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M Y Y Y Y नाम  जाम  जा Y Y Y Y Y  रर  2. घर  विक बच्चे के लिए एक अलग चीर्म आदि जीला समलत हमात लक्ष्य - जन्म हो में 1800-	3. अन्य स्थान परें और उत्पर बॉक्स में टिण हो. सिंखें) , सत प्रतिकत पंजीकरण 180-6785 फ/.n.pekchan.raj@gov.in	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख DDD M ण इकाई	M Y Y Y Y  नाम  जा Y Y Y Y Y  र  2. पर  येक बच्चे के लिए एक अलग फीर्म आदि जैसा मामला हमाता लक्ष्य — जन्म हो या मरण टेनेल जी ने बीच अल्ला हमाता लक्ष्य — जन्म हो या मरण टेनेल जी ने बीच अल्ला बेबसाईंट — https://ped	3. अन्य स्थान परें और उत्पर बॉक्स में टिण हो. सिंखें) , सत प्रतिकत पंजीकरण 180-6785 फ/.n.pekchan.raj@gov.in	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जिस्ट्रीक जिस्ट्रीक लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र	ण वी तारीख D D M ण इकाई	M   Y   Y   Y   Y	3. अन्य स्थान परें और उत्पर बॉक्स में दिण हो. सिंखों) , तत प्रतिकत पंजीकरण 150-6785 sv.in, pekchan.raj@gov.in	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जन्म की र जिस्सूरीका जिस्सूरीका जिस्सूरी जिस्सूरी जिस्सूरी का नोट : (	ण वी तारीख DDD M  ण इकाई	M Y Y Y Y नाम  आ Y Y Y Y  नाम  औ Y Y Y Y  र  2. घर  येक बण्धे के लिए एक अलल फींगे आए जैसा मानता हमारा लक्ष्य — जन्म हो मान सर्थ देश की नं 1800- प्रिक्त की निवास लगा के अस्ति की निवास लगा के अस्ति का निवास लगा का वार्ष की की	3. अन्य स्थान  परि  गरें और उत्पर बीक्स में टिग् हो, सिक्छें) हा, कडा मिरुका पंजीकरण  180–6785 फांस, pelechan.raj@gov.in chan.raj.nic.in	अंस्ट्रार/उपर्राजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर गगी कॉलम में जुढ़वा जन्म या द्वियत जन्म ×
जन्म की र लिंगः जन्म का र टिप्पणी (र मोट: ।	ण वी तारीख DDD M  ण इकाई	M Y Y Y Y  नाम  जा प्रभाव के बच्चे के लिए एक अलग चाँमं आदि जैस्स मामस्त  हमादा लंडच — जमा हो मां 1800- हमेला हो मं 1800- हमेला हो मं 1800- देस हो न नेशान लगावें 3. अन्य स्थान न चहां प्राम स्थान का पता जहां है। यह प्रसा	3. अन्य स्थान  परि  गरें और उत्पर बीक्स में टिग् हो, सिक्छें) हा, कडा मिरुका पंजीकरण  180–6785 फांस, pelechan.raj@gov.in chan.raj.nic.in	जेस्ट्रार/उपराजेस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
जन्म की र जन्म की र लिंगः जन्म का र नोंट :	ण वी तारीख DDD M  ण इकाई	M Y Y Y Y  नाम  जा प्रभाव के लिए एक अलग घींगे आदि जैस मामला हमारा लक्ष्य - जम हो निकार मामला हमारा लक्ष्य - जम हो निकार के निकार हमारा लक्ष्य देश की में 1800- वेस राईट - hitps://pel	3. अस्य स्थान भर्मे और उपर श्रीवल में टिण हो, तिन्छें) अत्र प्रतिकार पंजीकरण 180—6785 w.in, pehchan.nj@gw.in chan.nj.inic.in	अस्ट्रार/उपरिवस्ट्रार का नाम व हसाधार पणी कोलम में जुड़वा जन्म या दिवल जन्म अस्ति का पता प्रतिकट करना अपेक्षित गरी है। 21. विशित निमा औपवारिक किसा
रजिस्ट्रीक रजिस्ट्रीक जन्म की ह लिंगः जन्म का ह टिप्पणी (ह	ण की वारीख D D M ज क्याई	M V V V V नाम नाम अ V V V V नाम नाम अ विक वर्ष्य के शिर एक अलग याँगि आर्थि जीसा मामला हमाता लड़्य — जन्म हो या मरण टील डी मी 1800- है—मेल : jdviald.des@rajasthan.g बेससाईट — https://ped पर सही का निमान लगाई । पर या अन्य स्थान का पता जाई रि है एक लिखे— 11. क्या 10 1 12. क्या 11	3. अस्य स्थान भर्मे और उपर श्रीवल में टिण हो, तिन्छें) अत्र प्रतिकार पंजीकरण 180—6785 w.in, pehchan.nj@gw.in chan.nj.inic.in	अस्ट्रार/उपराजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर रूपी कॉलम में जुड़वा जन्म या द्वियल जन्म 

2 पुरेश या तथा या अन्यातमा (इत्तांअव्यक्त) र का नियान तथा वा अव्यक्ति किया जायेगा, यहां पूर्ण नाम (पंक्रित नहीं) बड़े अक्षरों में सिखा जायेगा और प्रधान मान अनिवार्य है। (प्रधान नाम) यह (प्रधीन नाम) में से कम से कम से कम दो अबर होने चाहिये। यदि शिशु का नाम नहीं रखा नाम है, हिंदी कहा के तथा किया जायेगा और प्रधान मान अनिवार्य है। (प्रधान नाम) या (अतिम नाम) में से कम से कम दो अबर होने चाहिये। यदि शिशु का नाम नहीं रखा नाम है, विश्व किया जा सकता है। जन्म का रिवेदर्शिकरण के 12 मास के मीतर, बिना प्रभार के, अंत स्थापित किया जा सकता है। जन्म का नाम किया जा सकता है। पता जाई कहीं भी आता है, में राज्य या केन्द्र कासित प्रदेश का नाम, जिल्ला, उच्च-जिल्ला / तहसील, शहर या ग्राम, वार्ड संख्यांक (शहर के मामले में और यदि जयतथा हो), पश्चित्र (मेंकटला), मकान संख्यांक और पिन कोठ मरें।

4. क्यां 3
 9. क्यां 8
 11. के हिर्माण्य 20. जीवरेट राजा
 12. प्रिमाण्य 10. क्यां 9
 15. किरोमां 7 माण्य 20. जीवरेट राजािक (शिक्षा का पूर्व इक्त स्तर प्रविश्व कर उपाहरणार्थ यदि क्या 7 तक अध्ययन किया है किंतु केयल क्या 6 जार्गिण की है, तो कथा 6 लिखें)
 14.15
 1. कृष्ण 2. कृष्ण मान्दर 2. जीविक नवदि उपार्थित करने बाता (कृषि मानदूर के अलाव) 4. एकल / पारिवारिक कर्मकार / स्विनेचांकित 5. नियोक्ता 6. सरकारी कर्मवारी 7. निजी कर्मवारी (परिचु सहायक के अजिरिक) 6. परेतु सहायक है. गौर-वर्मकार
 टिप्पणी -- सुमनादाता यह सुनिश्चित करोग कि जन्म रिपोर्ट प्रारूप में कोई भी नव ज्यासम्य रिक नहीं छोदी जाये।

### <sub>राजस्थान</sub> सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

प्रपत्र संख्या 2 (मृत्यु रिपोर्ट) (नियम 5 देखिए)	10. सूचनादाता का विदरणः (क) नाम प्रथम नाम अंतिम नाम
(अनुदेशों के लिये नीचे देखें।)	(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो) (ग) परिवार का जन आधार कार्ड संख्या :(यदि उपलब्ध हो)
	(१) चारवार का जन आवार काठ संख्याः (याद उपलब्ध हा) (घ) मोबाइल नम्बर
(पानान रेगोर्जन से प्रतिक)	(ह) ई-मेल
नगर निगम/नगर निकाय/ग्राम पंचायत	(च) पताः मकान संख्या मीहल्ला
(सूचनादाता द्वारा भरा जाना है)	वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो)शहर / गाँव
1. मृत्यु की तारीख D D M M Y Y Y Y	राज्य/ कप्न सास्ता प्रदर्श
2. मृतक का विवरण	निशान लगायें और 'शहर' या 'गाँव का नाम लिखें)
(क) नाम : (हिन्दी में) प्रथम नाम मध्यम नाम ऑतिम नाम	वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो)
(अंग्रेज़ी में) बढ़े अक्षरों में First Name Middle Name Last Name	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो) (ग) जन्म की तारीख : (यदि उपलब्ध हो)  D D D M M Y Y Y Y Y	12. यमः [ठावत वम दण कर हिन्दु या मुस्तिम या इताइ या सिख या बाह्य या जन या अन्य (कृषया । मादन्य कर)] 13. मृतक का व्यवसाय :
(१) आयु	<ol> <li>मृत्यु से पूर्व प्रदान किया गया चिकित्सीय उपचारः (निम्न प्रविष्टियों में से समुचित पर ✓ का निशान लगायें)</li> </ol>
3. लिंग ( <sup>र</sup> का निशान लगायें) पुरुष हवी ट्रान्सजेपहर	(1) संस्थान (2) संस्थान के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा उपचार (3) कोई चिकित्सीय उपचार नहीं किया गया।
4. माता का विवरण	15. वया मृत्यु का कारण विकित्सीय रूप से प्रमाणित हैं? (भीचे दी गई प्रविष्टियों में से समुचित पर का निशान लगायें) (1) हाँ
(क) माता का नाम (हिन्दी में) प्रथम नाम मध्यम नाम आंतिम नाम	(1) है। 16. बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारणः (किसी भी प्रकार से हुई मृत्यु के मामले में चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित या अग्रमाणित का विचार किए बिना)
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में First Name Middle Name Last Name	17. यदि मृतक स्त्री है. क्या मृत्यु गर्भवती रहने के दौरान, प्रसव के समय या गर्भावस्था के पश्चात् ६ सप्ताह के भीतर हुई है. (नीचे प्रविधित्यों में से समुचित पर ⊀ का निशान लगायें)
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)	(1) हाँ (2) नहीं
(ग) मोबाइल नम्बर	18. क्या मृतक घुमपान का आदी था. यदि हां तो किताने वर्षों से? 19. क्या किसी भी रूप में तम्बाकु चवाने का आदी था. यदि हां तो किताने वर्षों से?
(घ) ई-मेल	20. क्या किसी भी रूप में सुपारी (पान मसाला सम्मिलित करते हुए) चबाने का आदी था, यदि हां तो कितने वर्षों से?
5. पिता का विवरण : (क) पिता का नाम (हिन्दी में) प्रथम नाम मध्यम नाम अंतिम नाम	21. क्या मदिरापान का आदि था, यदि हां तो कितने वर्षे से?
(अंग्रेजी में) बढ़े अक्षरों में First Name Middle Name Last Name	<u> </u>
(ख) आधार नम्बर : (यदि उपलब्ध हो)	<u>धोषणा</u> ा मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विस्वास के अनुसार सही जानकारी प्रदान की है। मुझे गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जन्म और मृत्यु राजिस्ट्रीकरण
(ग) मोबाइल नम्बर	अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में संशोधित) की धारा 23 के अधीन शास्तियों की जानकारी हैं। मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार
(घ) ई-मेल	(वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाम और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के तहत सहमति देता हूँ / देती हूँ ।
6. जीवनसाथी (पति / पत्नी) का विवरण : को नाम फिट्मी को प्रथम नाम अविम नाम आविम नाम	ों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी में, मृतक के बाधार का व्यौत्त उपलब्ध नहीं है। (सभी कॉलम 1 से 21 तक पूरा करने के बाद, सुचनादाता हस्ताक्षर मय तारीख करेगा)
(Ф) गाग ((e <sup>r</sup> 4) ग)	(समा कालम १ स २१ तक पूरा करन क बाद, सूचनादाता हस्तावर मेव ताराख करना)
(अंग्रेजी में) बढ़े अक्षरों में First Name Middle Name Last Name	रिनांकः D D M M Y Y Y Y
(ग) परिवार का जन आवार कार्ड संख्या - (यदि उपलब्ध हो)	सूचनादाता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी (वाएं हाथ का)
(घ) जन्म की तारीख : (यदि उपलब्ध हो) DD MM MYYYY	कार्यालय उपयोग हेतु
(इ) आयु : (पूर्ण वर्ष में)	(रजिस्ट्रार द्वारा गरा जाना है)
(च) मोबाइल नम्बर	रजिस्ट्रीकरण संख्या
(छ) ई-मेल	रिजस्ट्रीकरण की तारीख D D M M Y Y Y Y
7. मृत्यु के समय मृतक का पता : मकान संख्या मोहल्ला.	रजिस्ट्रीकरण इकाई
वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो)	नाम कोड नम्बर
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	जिला
(अंग्रेजी में) बढ़े अक्षरों में House No	च्य-जिला/ तहसील शहर/ गाँव
State Union Territory	मृत्यु की तारीख D D M M Y Y Y Y
<ol> <li>मृतक का स्थाया पताः मकान संख्या मीहल्ला वार्ड संख्या (शहर के मामले में यदि उपलब्ध हो) शहर/गाँव. उप जिला/तहसील. जिला</li> </ol>	तिंगः पुरुष / स्त्री / ट्रांसजेण्डर
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	मृतक की आयु
(अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में House No	मृत्यु का स्थानः । अस्पताल / संस्था 2. घर 3. अन्य स्थान
Ward No- (In case of town & if available)	टिप्पणी (यदि कोई हो) :
State Union Territory	मृत्यु का कारण (फॉर्म ४४۸ के अनुसार)
मृतक की मृत्यु हुई है लिखें)	हमारा लक्ष्य – जन्म हो या मरण, शत प्रतिशत पंजीकरण
1. अस्पताल/संस्था का नाम एवं पता	टोल फ्री नं. 1800-180-6785
२ घर	ई—Het∷ jdvital.des@rajasthan.gov.in, pehchan.raj@gov.in
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश पिन कोढः	वेबसाईट – https://pehchan.raj.nic.in
V	
	"अस्पताल / संस्था" का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान" का पता जहां मृत्यु हुई है, तिखें ।
प्रपत्र संख्या २ पूर्ण करने के लिए अनुदेश : मृत्यु रिपोर्ट मद सं. अनुदेश	अस्पताल/ संस्था का नाम आर पता था चर्र था अग्य स्थान का पता जहां मृत्यु हुई है, तत्व । मृतक के निवास स्थान का शहर या ग्रामः जहां मृतक प्रायः रहता था । यह उस स्थान से मित्र हो सकता है जहां मृत्यु हुई । घर का पता भरना अपेक्षित नहीं
1 दिनांक, जहां कहीं भी आयी है, दिदि—मामा—वववव रूपविधान में उपबंधित की जायेगी, जहां दिदि दो अंकों में दिनांक, मामा दो अंकों में मास और वववव	ŧ
चार अंकों में वर्ष लिखा जायेगा। जहां भी कहीं दिनांक शब्दों में लिखी जाती है, वहां पूर्णरूप में यथा 01-01-2023 को एक जनवरी दो हजार तेईस लिखी	13 व्यवसाय – निम्नतिखित में से कोई एक लिखें।
जायेगी। दिनांक एवं अन्य गणितीय प्रविष्टियां भरने हेतु अरेबिक / न्यूमरल्स यथा ०, १, २, ३, ५, ५, ६, ७, १, ७ का उपयोग किया जायेगा।	1. कृषक
2.4.5.6.10 नाम, जहां कहीं भी आता है, (प्रथम नाम), (मध्य नाम) एवं (अंतिम नाम) के रूपविधान में उपवंधित किया जायेगा, जहां पूर्ण नाम (संक्षित नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और प्रथम नाम अनिवार्य हैं। (प्रथम नाम) या (मध्य नाम) या (जीतम नाम) में से कम से कम दो अक्षर होने चाहिये।	2. कृषि मजदूर 3. दैनिक मजदूरी उपार्जित करने वाला (कृषि मजदूर के अलावा)
उ "पुरुष" या "स्री" या "स्र्यालिमी" (द्रांसजेण्डर) √ का निशान लगायें	4. एकल/पारिवारिक कर्मकार/स्वनियोजित
2(घ) यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से अधिक है, तो आयु पूर्ण वर्षों में दीजिए। यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से कम हो तो आयु मास में दीजिए और यदि आयु 1 मास	5. नियोक्ता
से कम हो तो पूर्ण दिनों में और यदि एक दिन से कम हो तो घंटों में दीजिए।	6. सरकारी कर्मचारी र जिल्ली कर्मचारी (पटेन सम्पाद के अविभिन्न)
7.8.9.10 पता जहां कहीं भी आता है, में राज्य या केन्द्र, शासित प्रदेश का नाम, जिला, उप-जिला / तहसील, शहर या ग्राम, वार्ड सं. (शहर के मामले में और यदि उपलब्ध हो), परिक्षेत्र (भोहरला), मकान संख्यांक और पिन कोड मरें।	7. निजी कर्मवारी (परेलू सहायक के अतिरिक्त) 8. घरेलू सहायक
9 मृत्यु के स्थान के लिए समृद्रित प्रविष्टि पर सही का निशान लगावें	9. गैर-कर्मकार
1. अस्पताल / संस्था 2. घर 3. अन्य स्थान	टिप्पणी :- सूचनादाता यह सुनिश्चित करेगा कि मृत्यु रिपोर्ट प्रारूप में कोई भी मद यथासंभव, रिक्त नहीं छोड़ी जाये।

### राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

Application for Registration of Marriage (Fill the application for registration of marriage both in Hindi & English) विवाह पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र (विवाह पंजीयन आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में मरें)

Thave to apply for marriage registration. Particulars are given below :- मुझे विवाह पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है। विवरण निम्नानुसार है:-   Detail in English (In Block Letter)	The Marriage Registrar श्रीमान विवाह पंजीयन उ	गरिकारी	
I have to apply for marriage registration. Particulars are given below: - मुझे विवाह पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है। विवरण निम्नानुसार है:-		भावकारा	
मुखे विवाह पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है। विवरण निम्नानुसार है:-  Detail in English (In Block Letter) (A) Details of Bridegroom Name of bushand's father: Name of bushand's father: Name of bushand's father: Name of bushand's mother: Caste:			
मुझे विवाह पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है। विवरण निम्नानुसार है  Detail in English (In Block Letter) (A) Details of Bridegroom Name of husband's father: Name of husband's father: Name of husband's father: Name of husband's mother: Case:  Chizen:  Dist:  State:  Qualification:  Permanent Address:  Dist:  State:  Garvu हिन्दी में  (A) वर का विवरण: पति को नाम:  पति को माता का नाम:  पति को माता का नाम:  जाति:  मंगारिकता:  जैम तिथि:  आधार सं:  जनआधार कार्ड सं:  Detail in English (In Block Letter) (B) Details of Bride Name of wife's father: Name of wife's father: Name of wife's mother:  Case:  Case:  Cotizen:  Dist:  State:  Garvu हिन्दी में  (B) वयू का विवरण  पत्नी का नाम:  पत्नी को माता का नाम:  प्राची पता:  एक्सा के प्रसाम करना संस्तिकता:  शैक्षणिक योग्यता:  एक्सा के प्रसाम करना संस्तिकता:  शैक्षणिक योग्यता:  एक्सा के प्रसाम करना संस्तिकता:  शैक्षणिक योग्यता:  एक्सा के प्रसाम करना संस्तिकता:  एक्सा के प्रसाम का नाम:  पत्नी को माता का नाम:  पत्नी का नाम:  पत्नी को माता का नाम:  पत्नी को माता का नाम:	I have to apply for marriage	registration. Particulars are given b	elow:-
(A) Details of Bridegroom Name of husband's father: Name of husband's father: Name of husband's father: Name of husband's mother: Caste:  Caste:  Dist:  Dist:  State:  Garw हिन्दी में  (A) वर का विवरण: पति का नाम: पति के माता का नाम: पति के माता का नाम:  पति के माता का नाम:  जिला:  चैश्विणिक योग्यता:  एण्या:  ई-मेल आई.डी.:  जनआधार कार्ड सं:  जनआधार कार्ड सं:  जनआधार कार्ड सं:  जनआधार कार्ड सं:  Detail in English (In Block Letter) (B) Details of Bride Name of wife's mother:  Caste:  Caste:  Caste:  Caste:  Caste:  Caste:  Qualification:  Permanent Address:  Dist:  State:  Garv हिन्दी में  (B) क्यू का विवरण  पत्नी का नाम:  पत्नी की माता का नाम:			
Name of husband's father: Name of husband's father: Name of husband's mother: Caste:  Critzen:  Distr:  Distr:  State:	Detail in English (In Block )	Letter)	
Name of husband's father:	(A) Details of Bridegroom		
Name of husband's mother:  Caste:	Name of husband:		
Caste:			
Permanent Address:			
Dist:   State:     विवरण हिन्दी में     (A) वर का विवरण :			
विवरण हिन्दी में (A) वर का विवरण : पति का नाम : पति के पिता का नाम : पति के माता का नाम : जाति :			
(A) वर का विवरण : पति का नाम : पति के पिता का नाम : पति के पिता का नाम : जाति :		Distt:	State:
पति को नाम :  पति के पिता का नाम :  पति के पिता का नाम :  पति के पिता का नाम :  जाति :	विवरण हिन्दी में		
पति के पिता का नाम :  पति की माता का नाम :  जाति :	(A) वर का विवरण :		
पति के पिता का नाम :  पति की माता का नाम :  जाति :	पति का नाम :		
पति की माता का नाम :  जाति :			
जाति :			
स्थायी पता :			
जिला :			
धर्म : मोबाइल न : ई-मेल आई.डी. : जनआधार कार्ड सं : जिला : इसेल आधार कार्ड सं : जनआधार कार्ड सं : जनआधार कार्ड सं : जनआधार कार्ड सं : जिला : इसेल आई.डी. : जनआधार कार्ड सं : जन्य सं : जनआधार कार्ड सं : जनआधार कार्ड सं : जनआधार कार्ड सं : जन्य सं : जन्य सं : जनआधार कार्ड सं : जन्य सं :			
जन्म तिथि :			
(B) Details of Bride         Name of wife:       Name of wife:         Name of wife's mother:       Qualification:         Caste:       Critzen:       Qualification:         Permanent Address:       Distr:       State:         dacret lead #       (B) ag an lacret       William         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम:       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम         Ucfl an नाम       Ucfl an नाम       Ucfl an नाम <td></td> <td></td> <td></td>			
(B) Details of Bride         Name of wife:       Name of wife's father:         Name of wife's mother:       Qualification:         Caste:       Chizen:       Qualification:         Permanent Address:       Distr:       State:         विवरण दिन्दी में       (B) वधू का विवरण       पत्नी का नाम:       पत्नी का नाम:       पत्नी को माता का नाम:         पत्नी की माता का नाम:       पत्नी की माता का नाम:       प्राण्य:       श्रीक्षणिक योग्यता:       श्रीक्षणिक योग्यता:       स्थायी पता:       प्राण्य:       प्राण्य:       प्राण्य:       प्राण्य:       प्राण्य:        प्राण्य:        प्राण्य:         प्राण्य:	Detail in English (In Block )	Letter)	
Name of wife's father: Name of wife's mother: Caste: Citizen: Qualification: Permanent Address:  Distr: State:  विवरण हिन्दी में (B) व्यू का विवरण पत्नी की माना : पत्नी के पिता का नाम : पत्नी की माता का नाम : पत्नी की माता का नाम : जाति : नगरिकता : संशायी पता : जिला : राज्य :	and the second s		
Name of wife's mother:  Caste:	Name of wife:		
Caste:	Name of wife's father:		
Permanent Address:			
Disti :			
विवरण हिन्दी में (B) वद् का विवरण पत्नी का नाम : पत्नी के पिता का नाम : पत्नी की माता का नाम : जाति : नगरिकता : स्थायी पता : जिला : राज्य :			
(B) वयू का विवरण पत्नी का नाम : पत्नी के पिता का नाम : पत्नी की माता का नाम : जाति :		Distt:	State:
पत्नी का नाम :	विवरण हिन्दी में		
पत्नी के पिता का नाम :	(B) वधू का विवरण		
पत्नी की माता का नाम : नागरिकता : शैक्षणिक योग्यता : स्थायी पता : जिला : राज्य :	पत्नी का नाम :		
पत्नी की माता का नाम : नागरिकता : शैक्षणिक योग्यता : स्थायी पता : जिला : राज्य :	पत्नी के पिता का नाम : .		
जाति : - नागरिकता : - शैक्षणिक योग्यता :			
जिला : राज्य :			
जिला : राज्य :	स्थायी पता :		
1			
जन्म तिथि : आधार सं : जनआधार कार्ड सं :			

(C) Details of Marriage:		
Address of place of Marriage :		
Distt:	State:	Date of Marriage:
विवरण हिन्दी में		
(C) विवाह संबंधी विवरण :		
विवाह स्थल का पता :		
जिला :	राज्य :	विवाह दिनांक :
		A DAME
विवाह का पंजीयन नहीं करवाया गया है। आवे निशानीशुदा) फोटो नीचे चस्पा किये गये है।		है। वैवाहिक पक्ष वर एवं वधू के हस्ताक्षरशुदा (अंगूठा
पति (श्री	) पत्नी (श्रीमती	)
4×5 cm	जमा राशि की मोहर यहाँ लगावें	4×5 cm
पासपोर्ट साईज	माहर यहा लगाव	पासपोर्ट साईज
प्रथम गवाह हस्ताक्षर	द्वितीय गवाह	
नम	नाम	
पेता का नाम	पिता का नाम	
पता	पता	
मोबाइल नं	मोबाइल नं.	
कृपया फीस के पेटे रूपयेज	मा करवाकर एवं विवाह पंजीयन कर विवा	ह प्रमाण पत्र जारी कराने का कष्ट करावें।
	घोषणा	
Ť	ुत्र/पुत्री	आयु निवासी
	यह घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त प्रतिवे	वेदन में दी गई सूचना एवं जानकारी सही एवं सत्य
	मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। मैं आधार	जेस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान प्रमाणित करने के 2016 के तहत सहमति देता हूँ।
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी		
आवेदक का पूरा नाम व पता		
आवेदक का वर/वधू से सम्बन्ध	आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक का मोबाईल नं		
संलग्न :-		
	s" साईज)      •   वर व वधू की पहर	
• वर व वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र	• वर व वधू का अल	ग–अलग (शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित)
• विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र त	ाथा पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष	क्ष व एक वधू पक्ष हेतु शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित)
• आवेदक का फोटो पहचान पत्र एवं पते	के दस्तावेत • जनभाषाय कार्र	

### जन्म,मृत्यु एवं विवाह पंजीयन

## "पहचान"

भविष्य का काम बनाये आसान हमारा लक्ष्य जन्म हो या मरण,शत प्रतिशत पंजीयन अपने परिवार में हुए जन्म-मृत्यु का पंजीयन अवश्य करायें पंजीयन करवाने पर जन्म/मृत्यु प्रमाण-प्रत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है

जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन की सुविधा आमजन/ई.मित्र पर उपलब्ध है

कार्यालय जिला रजिस्ट्रार (जन्म,मृत्यु एवं विवाह पंजीयन) जयपुर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कलक्ट्रेट जयपुर, राजस्थान